



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Statutory Body under the of Ministry of Consumer Affairs,
Government of India)

शाखा कार्यालय: दुसरी मंजिल, एन. आय. टी. बिल्डिंग,
गोकुलपेठ, नागपुर 440010
Branch Office: Second Floor, NIT Building, Gokulpeth
Nagpur 440010
दूरभाष/Phone: निदेशक/Director - (0712) 2540807
पीबीएक्स/PBX - (0712) 2565171
फैक्स/FAX: (0712) 2554267
ईमेल/Email: ngbo@bis.gov.in
वेबसाइट/Website: <http://www.bis.gov.in>
GST NO. 27AAATB0431G1ZB

भारतीय मानक ब्यूरो
एनआईटी बिल्डिंग, 2 मंजिल,
गोकुलपेठ, नागपुर 440010
दूरभाष 07122565171, फैक्स 0712255467

अनुसूची -1 निविदा आमंत्रण सूचना (एनजीबीओ)

Our Ref : NGBO/Admn. SG & HG(10)/17/2019-20

21.11.2019

1. भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर ऊपर दिए गए पते पर सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ किराए पर लेने के लिए प्रतिष्ठित और अनुभवी एजेंसियों से दो बोली प्रणाली के तहत निविदाओं सील आमंत्रित करता है।
2. निविदाएँ द्विबोली पद्धति के तहत आमंत्रित है (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली)। निविदा प्रलेख के अनुसार योग्य बोलीदाताओं/इच्छुक पक्षों से ब्यूरो के (एनजीबीओ) द्वारा आमंत्रित की जाती है। अन्य प्रकार (फैक्स/पोस्ट/ईमेल इत्यादि) द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ स्वीकार्य नहीं होगी।
3. निविदा दस्तावेज www.bis.org.in (केवल संदर्भ हेतु) एवं केन्द्रिय लिंक प्राप्ति पोर्टल (सीपीएपीएपी) साइट निम्नानुसार क्रांतिक तिथि शीट में दिए गए अनुसूची के अनुसार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> में डाउनलोड किया जा सकता है।

क्रांतिक तिथि शीट

प्रकाशित तिथि	26.11.2019, 1300 hrs
बोली प्रलेख आकडे/बिक्री शुरू तिथि	27.11.2019, 1300 hrs
बोली प्रस्तुति शुरू तिथि	27.11.2019, 1300 hrs
बोली प्रस्तुति समाप्ति तिथि	18.12.2019, 1500 hrs
बोली शुरूआत तिथि	18.12.2019, 16.00 hrs

4. इच्छुक एजेंसियों को तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अलग अलग से प्रस्तुत करना आवश्यक है। सीलबंद कवर-1 में तकनीकी बोलियाँ और कवर-2 में वित्तीय बोलियाँ के साथ तिसरे कवर में कवर-1

की तकनीकी बोलियाँ और कवर-2 की वित्तीय बोलि सिलबंद होने चाहिए और 3रे कवर के उपर सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ लिखा होना चाहिए।

क्र.सं.	श्रेणी	अनुमानित अपेक्षाएँ
1	अर्धकुशल सुरक्षा गार्ड (कम से कम दसवी कक्षा)	1
2	हाउसकिपिंग /सफाई कर्मी (कम से कम दसवी कक्षा)	1
3	स्टेनोग्राफर (किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ आशुलिपिक का डिप्लोमा)	1
4	डाटा एंट्री ऑपरेटर (किसी भी मान्यताप्राप्त तकनीकी विद्यालय से डिप्लोमा/विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक)	1

निविदा एनजीबीओ में दिनांक **18.12.2019**, , समय 15.00 बजे से पहले पहुँच जाने चाहिए। निविदाकर्ता निविदा को स्पीड पोस्ट/कुरिअर अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्यालय में रखे गए निविदा बॉक्स में समय से पहले डाल देगा।

5 योग्यता:

- ए. महाराष्ट्र में श्रम शक्ति सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए कर्मिकों की नियुक्त हेतु संविदा श्रमिक लगाने का वैध लाइसेंस (नियमन एवं उन्मूलन), 1970 होना चाहिए।
- बी. बड़ी प्राइवेट फर्मों एवं या भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों/पीएसयु को श्रमशक्ति सेवाएँ प्रदान करने का न्यूनतम तिन वर्ष का अनुभव हो। (वर्तमान वित्त वर्ष सहित पिछले तिन वर्ष के दौरान बड़ी प्राइवेट एवं या भारत सरकार के विभागों/मंत्रालयों/पीएसयु से प्राप्त दो कार्य आदेशों की परिलिपियाँ संलग्न करें।
- सी. आयकर विभाग द्वारा जारी लिया गया वैध पैन कार्ड होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बिमा निगम, जी.एस.टी (वस्तु एवं सेवा कर) विभाग के साथ पंजीकृत हो (सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न किया जाए)
- डी. सुरक्षा गार्ड एवं श्रमिक सेवाएँ प्रदान करने का तिन वर्षों में प्रत्येक का रुपये 6 लाख प्रतिवर्ष का न्यूनतम टर्न ओवर होना चाहिए। (पिछले तिन वर्षों की वार्षिक लेखे की तिन प्रतियाँ संलग्न की जाएं)
- ई) उसे भारत सरकार/राज्य सरकार/पीएसयु विभागों/मंत्रालयों/ द्वारा काली सूची में न डाला गया हो। (निर्दिष्ट प्रपत्र में घोषणा प्रस्तुत की जाए।

6. संविदा की प्रस्तावित वैधता: अधिकतम 3 वर्ष तथापि संविदा शुरुआत में 1 वर्ष के लिए ही दी जाएगी तथा दोनों पक्षों की परस्पर सहमति पर फर्म की वार्षिक आधार पर समीक्षा एवं संतुष्टिपरक सेवाओं की शर्तों पर प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाएगी।
7. बोलियाँ खोलना: "तकनीकी बोलियाँ दिनांक **18.12.2019**, समय 15:00 बजे खोली जाएंगी। तकनीकी मूल्यांकन में सफल होने के बाद दिए गए अनुलग्नक IV के अनुसार "वित्तीय बोलियाँ"खोली जाएगी।
8. धरोहर जमा राशि: रुपये 20,000..00

9. कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा : संविदा की कुल वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत
10. बोलियों की वैधता: तकनीकी बोली शुरूआत की तिथि से 90 दिन।
11. ब्यूरो किसी भी कारण की सुपुर्दगी के बिना सभी बोलियों या किसी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख(नाशाका)

आर. पी. मिश्रा
R. P. MISHRA
वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख
Scientist 'F' & Head
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
गोकुलपेठ एन आय टी बिल्डिंग, नागपुर-44
Gokulpeth, NIT Building, Nagpur-44

अनुसूची-2
बोलीदाताओं के लिए निर्देश

कार्य की प्रकृति: भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए अनुबंध करना है।

1. **बोलियाँ आमंत्रण सूचना:**
 - 1.1 भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) नागपुर शाखा कार्यालय, द्वारा द्विबोली प्रणाली (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) निविदा दस्तावेज की अनुसूची-2 में “यथानिर्दिष्ट सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ लेने” हेतु आमंत्रित करता है।
2. **निविदा दस्तावेज को जारी करना:**
 - 2.1 निविदा दस्तावेज क्रांतिक तिथि शीट में दर्शाई गई अवधि के दौरान उपलब्ध होंगे।
 - 2.2 निविदा दस्तावेज क्रांतिक तिथि शीट में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार बीआईएस वेबसाइट www.bis.org.in (केवल संदर्भ हेतु) और सीपीपीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - 2.3 किसी भी प्रकार के शुद्धीपत्र/ परिशुद्धीता/संशोधन के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तिथि समय-समय पर बीआईएस वेबसाइट और सीपीपीपी वेबसाइट पर इच्छुक निविदाकर्ताओं बोलीदाताओं को सलाह दी जाती रहेगी।
 - 2.4 बोली दस्तावेज में कहीं पर भी कोई परिवर्तन या अतिरिक्त बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि ये पाए जाते हैं तो बोली स्पष्ट रद्द की जा सकती है।
 - 2.5 अपनी बोलियाँ की तैयारी एवं प्रस्तुति से जुड़े सभी खर्च बोलीदाता वहन करेगा। ब्यूरो इन लागतों से किसी भी प्रकार से उत्तरदाई या जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे बोली प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।
3. **बोली/संविदा की भाषा:** बोली की भाषा अंग्रेजी/हिंदी होगी और सभी प्रकार का पत्रचार इत्यादि अंग्रेजी/हिन्दी भाषा में होगा।
4. **निविदा दस्तावेज संबंधी स्पष्टीकरण:**
 - 4.1 निविदा में सहभागिता हेतु इच्छुक फर्म मामलों एवं संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण लेने के लिए शनिवार, रविवार एवं छुट्टी के दिनों छोड़कर सभी कार्यालयीन दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे से 17.30 बजे शाम के बीच कार्य में उपस्थित हो सकते हैं।
 - 4.2 बोली दस्तावेज में कहीं पर भी कोई परिवर्तन या अतिरिक्त बदलाव की अनुमति नहीं है। यदि ये पाए जाते हैं तो बोली स्पष्ट रद्द की जा सकती है। किसी प्रकार की शंका के मामलों में विशिष्ट स्पष्टीकरण तिथि एवं समय के बिच सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन स्पष्टीकरण बोलीदाता से ले सकता है।
5. **बोलियों की वैधता:**
 - 5.1 बोली वित्त बोली खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि हेतु वैध रहेगी।

6 धरोहर राशि/बोली प्रतिभूति:

- 6.1 बोली दाता ब्याज मुक्त धरोहर राशि (ईएमडी) के अनुसार निविदा आमंत्रण सूचना सांकेतिक राशि को जमा करेगा। धरोहर राशि दशाये गए फार्मेट के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/के रूप में जमा कराई जाएगी।
- 6.2 धरोहर राशि जमा करने से चूकने या त्रुटी बोली के के अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) करेगा और ब्यूरो ऐसी अयोग्य (डिस्क्वालिफाई) बोली पर विचार करना छोड़ देगा।
- 6.3 बोली दाता बोली की वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो की सहमति के बिना इसकी शर्तों और निबंधनों पर अपनी बोली को नहीं रोकेगा या भिन्नता नहीं करेगा। यदि बोलीदाता बोली रोकता है या इसकी शर्तों और निबंधनों पर भिन्नता रखता है, तो इसकी जमा धरोहर राशि इसकी अन्य अधिकारों एवं उपचारों पर कोई वैधानिक प्रभाव डाले बिना वंचित कर दिया जाएगा तथा ऐसी रोक की तिथि से अगले 24 महिने की अवधि के लिए सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ भाडे पर लेने के लिए ब्यूरो को बोली प्रस्तुति से बोलीदाता को वंचित रखा जाएगा।
- 6.4 यदि सफलतम निर्धारित समय सीमा में कार्यनिष्पादन प्रतिभूति का भुगतान नहीं करता है या करार बांड को हस्ताक्षरित करने से चूक जाता है तो सफलतम बोलीदाता की धरोहर राशि जमा से ब्यूरो द्वारा वंचित कर दिया जाएगा।
- 6.5 असफलतम बोलीदाता को धरोहर राशि ब्यूरो को अपेक्षित कार्यनिष्पादन प्रतिभूति भेजने के बाद तथा बोली की वैधता अवधि की समाप्ति के 30 दिन के भीतर करार पर हस्ताक्षर करने के वाद जो भी पहले हो, लौटा दी जाएगी।

7. दरें कैसे उद्धृत की जाएगी:

- 7.1 बोलीदाता से उद्धृत करने वाली राशि पर तकनीकी विशिष्टियाँ और शर्तों के मद्देनजर अपनी दरों की अपेक्षा की जाती है। बोली देने से पूर्व, बोलीदाता ने अपनी बोलियों के संबंधमें उनका यथातथ्यता तथा पर्याप्तता तथा संलग्न अनुसूची में उद्धृत दरों एवं मूल्य के बारे में संतुष्टि कर ली है, ऐसा समझा जाएगा। इन दरों एवं मूल्य में संविदा के तहत इसकी सभी बाध्यता और उनकी देयताओं समूचित रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक चीजें, यथा अन्यता उपबंधित को छोड़कर शामिल होगी।
- 7.2 वित्तीय बोली सभी प्रकार के सामान एवं वस्तु एवं सेवा कर या किसी प्रकार के लागू कर शामिल होंगे। समय-समय पर सरकार द्वारा लागू कर संविदाकार द्वारा बोली में उद्धृत दरों के अतिरिक्त संविदारार द्वारा प्रभारित होंगे।
- 7.3 उद्धृत समेकित मासिक राशि दरें ब्यूरो द्वारा मकान किराया भत्ता (अगर लागू है तो), ईएसआयसी, (अगर लागू है तो), ईपीएफ (अगर लागू है तो), ग्रैच्युटी, बोनस(अगर लागू है तो), वर्दी धुलाई भत्ता (अगर लागू है तो), स्थानापन्न योगदान शामिल होंगे। इसमें प्रशिक्षण एवं योनिफार्म की लागत, कंपनी इत्यादि का पर्यवेक्षण भी शामिल होंगे। प्रति व्यक्ति कुल समेकित मासिक राशि पृथक रूप से प्रत्येक श्रेणी के तहत बोलीदाता द्वारा संविदाकार द्वारा उद्धृत की जानी चाहिए।
- 7.4 बोली लगाने वाले बोलीदाताओं द्वारा कीमतों को उद्धृत किया जाना चाहिए और कोई पंक्ति / कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

7.5 मूल्य एक वर्ष के लिए वैध रहेंगे। तथापि भारत सरकार द्वारा न्यूनतम केन्द्रिय मजदूरी के पुनरीक्षण पर ब्यूरो द्वारा इसे पुनरिक्षित किया जा सकता है। तथापि, न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण पर भी संविदाकार का लाभ पूर्णता संविदा अवधि में वही रहेगा, जो उसने अपनी बोली में जैसा कि उद्धृत किया है।

8. प्रस्तुति की अंतिम तिथि:

8.1 बोलियां अनुसूची 1 में उल्लिखित शेड्यूल के अनुसार जमा की जाएंगी, जो कि समय सारणी तालिका में निर्दिष्ट समय और तिथि के बाद नहीं दी जाएगी

8.2 बोली प्रस्ताव को जमा करने की निर्दिष्ट तारीख को छुटी घोषित होने की स्थिति में प्रस्ताव अगले कार्यालयीन दिवस को नियुक्त समय पर प्राप्त किए जाएंगे।

9. बोली दस्तावेज के घटक:

9.1 निविदा को तकनीकी बोली एवं वित्त बोली के तौर पर दो भागों में ऑफलाईन जमा करना होगा। प्रस्तुत किए गए बोली के सभी पृष्ठ ऑफलाईन भरने से पूर्व प्रलेखों की सामग्री की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना बोलीदाता द्वारा क्रमवार संख्या दी जाएगी।

10 तकनीकी बोली:

10.1 निविदा प्रलेख के अनुसार तकनीकी बोली के अनुसार संविदाकार द्वारा अनुसूची 1 में दर्शाए गए दस्तावेज भेजे जाने हैं।

10.2 तकनीकी बोली कवर के उपर "सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ" लिखा होना चाहिए।

11. मूल्यबोली:

11.1 संविदाकार द्वारा निम्नलिखित एक वित्त मूल्य बोली होनी चाहिए।

a) वित्त बोली तालिका अनुसूची 6 के अनुसार प्रोफार्मा में होनी चाहिए।

12. बोलीदाता द्वारा ध्यान दिए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

12.1 बोलीदाता बोली प्रस्तुत करेगा जो निविदा दस्तावेज में दिए गए प्रत्येक एवं हरेक शर्त की संतुष्टी पर हो, ऐसा चूकने पर बौद्ध की जा सकती है। सशर्त बोली को रद्द कर दिया जाएगा।

13. बोली खोलना:

13.1 बोलियां क्रांतिक तिथि शीट में दर्शाए अनुसार तिथि/समय के अनुसार खोली जाएगी।

14. बोलीदाताओं की छूटाई:

14.1 ब्यूरो तकनीकी आहर्ता वाली बोलीयाँ की छूटाई करेगा और उन केवल बोलीदाताओं की वित्त बोलियाँ जो तकनीकी बोली की अहर्तावाले हो, तो उसे उसी समय वित्त बोली खोली जाएगी।

15. तकनीकी बोली:

15.1 केवल उन तकनीकी बोलियाँ जो निविदा दस्तावेज की सभी आवश्यकताओं को अहर्ता प्राप्त करती हैं, केवल तभी विचार की जाएंगी। बीआईएस नागपुर में संकेतित समय और तिथि पर बोली खोलने के समय बोलीदाता प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

- 16. वित्त बोली मूल्यांकन की कसौटी:**
- 16.1 केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोली जो तकनीकी रूप से पात्रता प्राप्त होंगे उसे ही खोला जाएगा।
- 16.2 निविदा उस पक्ष को दी जाएगी, जो संपूर्ण रूप से कार्य के कुल क्षेत्र हेतु कम से कम मूल्य उद्धृत करेगा तथा उपखंडों में नहीं बांटेगा।
- 17. बोली की स्वीकार्यता:**
- 17.1 ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोली स्वीकार्यता की जाएगी। ब्यूरो सबसे कम वाली बोली या किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ब्यूरो बिना कोई कारण बताए, जो भी हो प्राप्त सभी बोलियों या किसी बोली को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बोली की स्वीकार्यता ब्यूरो के नेगीबीओ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में सफलतम बोलीदारा को भेजी जाएगी।
- 18. संविदा दस्तावेज का निष्पादन:**
- 18.1 निष्पादन सुरक्षा जमा करने के बाद सफल बोलीदाता को अनुलग्नक 3 के अनुसार महाराष्ट्र में खरीदे जाने वाले रुपये 100 / - के उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर बोली दस्तावेजों से जुड़े फॉर्म में डुप्लिकेट में एक समझौते को निष्पादित करने की आवश्यकता है। बोली की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। अनुबंध निविदा के नियम, नियम और शर्तें (टी एंड सी) और टी और सी में निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों द्वारा शासित होगा।
- 18.2 सफलतम बोलीदाता का निष्पादन की तिथि पर यथालागू स्टैम्प ड्युटी, विधि एवं संवैधानिक प्रभार का भुगतान करने का कर्तव्य होगा।
- 19. ब्यूरो के अधिकार:**
- 19.1 ब्यूरो के निविदा दस्तावेज के कार्यक्षेत्र में दर्शाए कार्यों का क्षेत्र समुचित रूप से बढ़ा/कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 19.2 ब्यूरो द्वारा निविदा दस्तावेज या संविदा की शर्तों, खंडों की व्याख्या की व्याख्या में किसी प्रकार अस्पष्टता के मामलों में सभी पक्षों पर अंतिम एवं बाध्य हैं।
- 20 निविदा सूचना एवं यह, निर्देश संविदा के भाग होंगे।**

चेक-लिस्ट (तकनीकी बोली)

Sl.No.	आवश्यकता का विवरण	हां / नहीं	पृष्ठ सं
1	फर्म अनुबंध श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के साथ पंजीकृत है।	हां / नहीं	
2	निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम, 2005 और संबंधित राज्य सरकार के तहत बनाए गए नियमों के तहत लाइसेंस।	हां / नहीं	
2	नाम के संबंध में मालिक / साझेदार / निदेशक के विवरण, संचार के लिए पता, टेलीफोन नंबर, ई-मेल इत्यादि सहित फर्म के पंजीकरण की फोटोकॉपी (कृपया अनुबंध 4 देखें)	हां / नहीं	
3	बोली हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का मुख्तारनामा की फोटोकॉपी संलग्न किया जाएगा। मुख्तारनामा, सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में, मुख्तारनामा ही के समर्थन में बोर्ड के प्रस्तावों और उचित और पर्याप्त सबूत द्वारा समर्थित किया जाएगा प्रदान की जाएगी।	हां / नहीं	
4	भविष्य निधि आयुक्त के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	हां / नहीं	
5	जीएसटी नंबर के पंजीकरण प्रमाणपत्र / आवंटन पत्र की प्रति	हां / नहीं	
6	आयकर विभाग से पंजीकरण प्रमाणपत्र / आवंटन पत्र पैन की प्रति	हां / नहीं	
7	ईएसआई के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	हां / नहीं	
8	अनुलग्नक 5 के अनुसार अन्य संगठन जहां सुरक्षा अनुबंध / किए गए थे (पिछले तीन वर्षों में तीन पक्षों से अनुबंध पुरस्कार पत्र संलग्न करें)	हां / नहीं	
9	ईएमडी के रूप में 10,000 / - रुपये का डीडी	हां / नहीं	
10	सिंगल प्राइस बोली अलग लिफाफे में सील (अनुलग्नक 6 के अनुसार)	हां / नहीं	
11	मध्यस्थता के मामलों की सूची (यदि लागू हो), यदि हां - मामलों की सूची संलग्न करें, यदि नहीं - घोषणा सबमिट करें कि मध्यस्थता के मामले नहीं हैं।	हां / नहीं	
12	नियम और शर्तों की स्वीकृति। नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को स्वीकृति के टोकन के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और निविदा दस्तावेज के हिस्से के रूप में जमा करना होगा। (अनुलग्नक 2)	हां / नहीं	
13	प्रत्येक वर्ष रुपये 6 लाख रुपये के न्यूनतम कारोबार के साथ पिछले तीन वर्षों की आयकर रिटर्न की प्रति।	हां / नहीं	
14	इस प्रभाव की घोषणा कि एजेंसी को भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के विभाग / मंत्रालयों द्वारा अनुलग्नक 7 के	हां / नहीं	

	अनुसार ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है		
15	इस प्रभाव की घोषणा कि बीआईएस नागपुर में सुरक्षा गार्ड और हाउसकीपिंग व अन्य कर्मियों को नियुक्त किया गया है, अनुबंध 8 के अनुसार पुलिस सत्यापन द्वारा जांच की जाएगी	हां / नहीं	

नोट: घोषणा के साथ ऊपर वर्णित सभी दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य है।. उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी की गैर प्रस्तुत बोली प्रस्तुत करना होगा खारिज कर दिया जाएगा।

(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना)

दिनांक:

प्रति,

विषय: निविदा के नियम और शर्तों की स्वीकृति.

निविदा संदर्भ संख्या: _____

निविदा/कार्य का नाम: _____

महोदय,

मैंने / उपर्युक्त वेबसाइट (ओं) में दिए गए विज्ञापन के अनुसार, www.bis.org.in वेबसाइट पर उपरोक्त उल्लिखित 'निविदा / कार्य' के लिए निविदा दस्तावेज को डाउनलोड / प्राप्त किया है।

मैं / हम इस प्रकार प्रमाणित करते हैं कि मैंने / निविदा दस्तावेजों के पूरे नियम और शर्तों को पृष्ठ संख्या _____ से _____ तक पढ़ा है (जिसमें सभी दस्तावेज जैसे अनुबंध (एस), अनुसूची (आदि) शामिल हैं) जो कि अनुबंध समझौते और मैं / हम इस प्रकार निहित नियम / शर्तों / खंडों का पालन करेंगे।

इस स्वीकृति पत्र को जमा करते समय समय-समय पर आपके विभाग / संगठन द्वारा जारी किए गए शुभकामनाएं भी ध्यान में रखी गई हैं।

मैं / हम इस प्रकार उपर्युक्त निविदा दस्तावेज (ओं) / corrigendum (ओं) की कुलता / पूर्णता में निविदा शर्तों को बिना शर्त शर्त स्वीकार करते हैं।

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट / डिबर्ड नहीं किया गया है।

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सत्य और सही है और यदि सूचना गलत / असत्य या पाई जाती है, तो आपके विभाग / संगठन को बिना किसी नोटिस या कारण के या बिना संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा किसी भी अन्य अधिकार या उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अनुबंध को बोली या समाप्त कर दें, जिसमें पूरी तरह से कमाई की गई धनराशि जमा पूरी तरह से जब्त कर लेती है।

भवदिय,

((बोलीदाता का हस्ताक्षर, कार्यालय मुहर के साथ)

अनुसूची-2

संविदाकार से सुरक्षा गार्ड एवं हाउसकिपिंग और अन्य सेवाएँ के लिए संविदा की शर्तें

1. **संविदा की वैधता:** अधिकतम 3 वर्ष तथापि संविदा शुरुआत में 1 वर्ष के लिए ही दी जाएगी तथा दोनों पक्षों की परस्पर सहमति पर फर्म की वार्षिक आधार पर समीक्षा एवं संतुष्टिपरक सेवाओं की शर्तों पर प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाएगी।

2. **काम का विस्तृत दायरा :**
संविदाकार निम्नलिखित के रूप में सेवाएँ प्रदान करेगा।

क्रम सं	दक्षता श्रेणी	संभावित श्रमशक्ति आवश्यकता	न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव
1	कुशल सुरक्षा गार्ड	1	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित काम का अनुभव
2	सफाई कर्मी	1	दसवीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ संबंधित काम का अनुभव
3	स्टेनोग्राफर	1	(किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ आशुलिपिक का डिप्लोमा)
4	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	(किसी भी मान्यताप्राप्त तकनीकी विद्यालय से डिप्लोमा/विश्वविद्यालय से तकनीकी स्नातक)

2अ . एजेंसी से बी आई एस द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा गार्ड से सेवाएँ ली जाएगी

- ए. कर्मचारियों के लिए सुरक्षा गार्ड और हाउस-रखरखाव प्रदान करने के लिए, बीआईएस संपत्ति जैसे सामग्री/उपकरण, स्थापना और भवन, अन्य संरचना आदि बीआईएस, नागपुर में
- बी. कामकाजी और बंद दिनों पर ब्यूरो द्वारा जरूरी/निर्देशित कार्यालय कार्यालयों के पहले और बाद में इमारतों और कमरे के उद्घाटन और समापन में बीआईएस, नागपुर के नियमित कर्मचारियों की व्यवस्था/सहायता करने के लिए;
- सी यह सुनिश्चित करने के लिए कि दरवाजे / खिड़कियां, इलेक्ट्रिक बल्ब, प्रशंसकों, एसी, पानी नल इत्यादि कामकाजी दिनों के साथ-साथ ऑफ दिनों के कामकाजी घंटों के बाद खुले नहीं रहें, जैसा भी मामला हो: यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आउटडोर रोशनी शाम को चालू हो जाएं और सूर्योदय पर बंद हो जाएं;
- डी. पुरुषों और सामग्रियों के अंदरूनी और बाहरी आंदोलन के रखरखाव और रिकॉर्ड के संबंध में व्यवस्था और ब्यूरो द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित जांच करनी;
- इ. केवल अधिकृत व्यक्तियों (बीआईएस कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के प्रवेश के लिए संलग्न) के प्रवेश सुनिश्चित करें। आगंतुक केवल गेट पर उचित प्रवेश के साथ अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार आगंतुक संबंधित पर्ची के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं और केवल संबंधित अधिकारियों से

मिल सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह कर्तव्य ईमानदारी से दृढ़ लेकिन सभ्य व्यवहार से मुक्त हो।

एफ. तैनात सुरक्षा गार्ड और हाउस-रखरखाव परिनियत सतर्कता बनाए रखने और सतर्क रहने के लिए परिसर के नियमित दौर ले लेंगे।

जी. ब्यूरो को सुरक्षा और घर के रख-रखाव के सभी मामलों के बारे में सूचित किया;

एच. प्रबंधन को सभी सुरक्षा मामलों, खुफिया जानकारी के बारे में सूचित रखने के लिए श्रम संघ की बैठकें आदि

आय. नमूने हैंडलिंग आदि में सहायता करने के लिए

2बी एजेंसी से बी आई एस द्वारा निम्नलिखित हाउसकिपिंग से सेवाएँ ली जाएगी।

दैनिक कार्य:

- a). तालिकाओं, कुर्सियों, ट्रे, कंप्यूटर, टेलीफोन, फाइलिंग अलमारियाँ, अलमारी की सफाई और सफाई, रैक, प्रशंसकों, फोटोकॉपी मशीन आदि
- b).. फिक्स्चर / फर्नीचर, मानक रैक इत्यादि की धूल और सफाई
- c) काउंटरों की धूल और सफाई
- d) परिसर में लकड़ी के पैनलों की धूल और सफाई
- e) स्वागत क्षेत्र, सोफे सेट आदि की सफाई
- f) स्वीपिंग और पूरी मंजिल की जगह की सफाई
- g). सीमेंट क्षेत्र समेत पूरे मंजिल की जगह पर रोक लगाना
- h). नमूना सेल को साफ करने और अनपैक किए गए crates / अपशिष्ट को हटाने के लिए
- i). फाइलों का आंदोलन
- j). नमूने पैकिंग
- k). चाय बनाना और सभी अधिकारी को सेवा देना
- l). चाय से संबंधित बर्तन साफ करने के लिए।

साप्ताहिक कार्य

- a). विभिन्न केबिन के शीशे की सफाई
- b). वेनिस अंधा पृष्ठ की सफाई
- c) खिड़कियों और फ्रेम की सफाई
- d) परिसर से हटाए जाने का ब्यौरा रखना

मासिक कार्य

- a) छत प्रशंसकों की धूल
- b). सभी ढेर कमरे की सफाई

2सी स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर:

समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार समय बंध तरीके से कार्य

कार्यालयीन कार्य करने हेतु.

3. संविदा हेतु पक्ष:

- 3.1 संविदा का पक्ष संविदाकार होगा जिसका प्रस्ताव ब्यूरो द्वारा स्वीकृत किया जाता है
- 3.2 प्रस्ताव फर्म के अन्य व्यक्तियों की ओर से संविदा के भाग बनाते हुए अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति संविदा से संबद्ध सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्मों को बाध्य करने के लिए सम्यक प्राधिकारी समझा जाएगा। यदि यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति के पास ऐसा प्राधिकार न हो तो ब्यूरो अन्य किसी सिविल / आपराधिक उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संविदा को समाप्त कर सकता है तथा हस्ताक्षरी को बनाये रख सकता है तथा फर्म ऐसे समापन हेतु सभी लागत एवं नुकसानों हेतु देय होती है।

4. कार्यकारिता प्रतिभूति:

- 4.1 संविदा के देय निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, ब्याज-मुक्त निष्पादन प्रतिभूति में यथा वर्णित राशि हेतु संविदा दिए गए सफलतम बोलीदाता से अनुबंध का वार्षिक मूल्य पर १० प्रतिशत कार्यकारिता प्रतिभूति प्राप्त की जाएगी। इसके पंजीकरण स्तर इत्यादि को ध्यान में रखे बगैर, निष्पादन प्रतिभूति अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो, नागपुर में देय होगा।
- 4.2 कार्यकारिता प्रतिभूति सभी संविदा की पूर्णता की तिथि से साठ दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।
- 4.3 इस संविदा की शर्तों के तहत संविदाकार से देय / वसूलनीय कोई राशि या किसी प्रकार का अन्य लेखा, कार्यकारिता प्रतिभूति जमा राशि से काटी जा सकती है। इस मामले में कार्यकारिता प्रतिभूति जमा राशि को ऐसी किसी कटौती के कारण से कम दिया जाता है तो संविदाकार, ब्यूरो से 'मांग सूचना' की प्राप्ति से 15 (पन्द्रह) दिनों के भीतर घाटे को पूरा करेगा। यदि प्रतिभूति को संविदाकार द्वारा बैंक गारंटी के तरीके से जमा किया जाता है, तो निर्धारित हानिपूर्ति के लिए या संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन या चूक पर जुर्माना ब्यूरो को पहले से भुगतान नहीं किया जाएगा, बल्कि उक्त गारंटी को शर्तों के तहत ब्यूरो को उक्त बैंकों द्वारा मांग पर तुरंत भुगतान किया जाएगा।
- 4.4 यदि इस संविदा की अवधि के दौरान, संविदाकार इस संविदा के तहत , देय एवं इसकी देयताओं के तहत सही कार्य, कार्यकारिता से चूकता है या जुर्माना के तरीके से अथवा कोई देय बकाया, जुर्माना एवं संविदाकार की ओर से देय अन्य कोई राशि की वसूली से चूकता है, तो ब्यूरो को इसके तहत उसके अन्य अधिकारों एवं एतदधीन उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के या लागू कानून पर, कार्यकारिता प्रतिभूति को रोकने, रखने और विनियोजन का अधिकार होगा।
- 4.5 ब्यूरो को संविदाकार से यदि कार्य कार्यकारिता प्रतिभूति की राशि से अधिक उक्त जैसे नुकसान, हानियाँ, लागत, प्रभाव एवं खर्च की राशि होगी, तो उसे मुकदमें या इसी प्रकार के अन्य तरीके से वसूलने से रोका नहीं जाएगा।
- 4.6 दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति में ब्यूरो की पूर्ण संतुष्टि होने और विवाद का समाधान होने तक कार्यकारिता प्रतिभूति रोकी जाएगी संविदा पूर्ण होने की तिथि अथवा समाप्ति की तिथि के साठ दिन के भीतर संविदाकार के ऊपर कोई बकाया दावा न होने पर कार्यकारिता प्रतिभूति लौटा दी जाएगी।

5. संविदाकार की बाध्यताएँ: (ए)

- 5.1 संविदाकार ब्यूरो की परिसर में श्रमशक्ति सेवाएं खंड 2 के अनुसार उपलब्ध करनी होंगी, जिन्हें अनुबंध का एक अभिन्न भाग होगा। संविदाकार ब्यूरो द्वारा समय होगा बाध्य करने के लिए किए गए कार्य संपूर्ण समाया नुसार ब्यूरो को हटाने का सकारना का कार्मिक अवांछनीय
- 5.2 होगा जबकि आपत्कालीन परिस्थितियों को छोड़कर बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी कार्मिक को ब्यूरो की अनुमति और अनुमोदन के बिना हटाने का अधिकार संविदाकार को नहीं होगा।
- 5.3 वार्षिक रखरखाव हेतु करने सुनिश्चित निष्पादन का रखावसेवाओं-विदाकार को पर्याप्त पर्यवेक्षण करना होगा।
- 5.4 दोनों पक्षों के बीच अपेक्षाओं संबंधी सहमति के अनुसार सेवाओं के सही निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त पर्यवेक्षण उपलब्ध करना होगा।
- 5.5 सभी अपेक्षित रिपोर्टें एवं अन्य सूचनाएं तत्काल उपलब्ध करानी होंगी और ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करनी होंगी।
- 5.6 यदि संविदाकार निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार न्यूनतम सांविधिक अपेक्षाओं (ईपीएफ / ईएसआईसी) भंग संविदा इसे तो है रहता असमर्थ में करने प्रतुत को दस्तावेज संबंधित पूरा नहीं कर पाता तथा और उसकी निष्पादन प्रतिभूति ब्यूरो द्वारा जब्त करने के साथ संविदाकार के साथ को काली सूची में डाल दिया जाएगा।
- 5.7 ठेकेदार की किसी भी परिस्थिति का उल्लंघन करने के मामले में और सभी प्रकार के नुकसान के कारण भर्ती को सेवाओं जनशक्ति में स्थिति की होने असफल में करने प्रदान संख्या की जनशक्ति की ठेकेदार करने के कारण अतिरिक्त लागत सहित, ब्यूरो भर्ती दर की दर से दोगुनी कटौती करेगा विक्रेता द्वारा पसंद किए गए बिलों से प्रताता आधार पर या यह विक्रेता या किसी अन्य अनुबंध या प्रदर्शन सुरक्षा से विक्रेता के कारण हो सकता है या उसे ब्यूरो के क्रेडिट के लिए सात दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग की जा सकती है
- 5.8 यदि ब्यूरो आवश्यक समझेगा तो ब्यूरो को यह अधिकार होगा कि वह संविदाकार के कर्मचारियों के आने तथा जाने के समय को मॉनीटर करेगा तथा साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कार्य संबंधी निर्देश भी देगा। संविदाकार के कार्मिकों को ब्यूरो के सभी समुचित अनुदेशों को मानना होगा।
- 5.9 पर्यवेक्षक, जिसे श्रमशक्ति सेवाओं का सेवाओं के संचालन का अच्छा ज्ञान एवं अनुभव हो, वही इन सेवाओं के प्रचालन का प्रधारी होगा। कार्मिक पर्यवेक्षण में सशक्त हो और संप्रेषण पहल करने में कुशल तथा उत्साही और विश्वसनीय हो। पर्यवेक्षक को सामान्य कार्य समय के बाद भी संविदाकार के खर्च पर अपनी इयूटी का पालन करना होगा।
- 5.10 संविदाकार द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण जनशक्ति जानकारी, उत्सुक, सतर्क, इच्छुक और हंसमुख हो। कार्य के अच्छे स्तर की गारंटी और संबंधित कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु पर्यवेक्षक को पर्याप्त प्रशिक्षण देना होगा।
- 5.11 जब तक ब्यूरो द्वारा लिखित सहमति ना दी जाए तब तक संविदा या इसके किसी हिस्से, भाग या इसके किसी सरोकार को संविदाकार द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है और न ही दिया जा सकता है।
- 5.12 संविदाकार के कर्मचारियों को ब्यूरो के सभी उपयुक्त निर्देशों का पालन करना होगा।

- 5.13 ब्यूरो के पास यह अधिकार होगा कि वह विशिष्टियों और अनुसूची में किए गए वर्णन के अनुसार कार्य में समुचित बदलाव कर सकता है और किसी भी बदलाव से यह करार निरासत नहीं होगा।
- 5.14 इस संविदा के अंतर्गत निष्पादित की गई सभी सेवाओं के लिए भुगतान से पहले ब्यूरो द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। यदि ब्यूरो की राय में कोई सेवा संविदा की अपेक्षाओं के अनुरूप निष्पादित नहीं पाई जाती है तो ब्यूरो भुगतान को रोक सकता है। सेवाओं के लिए ब्यूरो द्वारा बकाया का भुगतान माहवार होगा, किंतु ऐसा तब ही होगा जब सेवाओं के निष्पादन से ब्यूरो संतुष्ट हो।
- 5.15 कार्य निष्पादन या कार्य करने के दौरान किसी को व्यक्तिगत चोट या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर किसी भी विधान या सामान्य कानून के कारण होने वाली हानि, दायित्व, दावे या कार्यवाई के लिए संविदाकार स्वयं जिम्मेदार होगा और ब्यूरो को क्षतिपूर्ति करेगा, भले ही इसमें उसकी लापरवाही हो या न हो। ऐसे जोखिम के लिए वह उपयुक्त बीमा कवर करेगा तथा बीमा पॉलिसी के प्रति ब्यूरो लो देगा।
- 5.16 ब्यूरो को संबंधित श्रेणी में ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई जनशक्ति के संबंध में अनिवार्य शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, आयु प्रमाण और अनुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने का अधिकार है, और यदि वे ब्यूरो की

आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें उपयुक्त जगह के लिए अस्वीकार कर दिया गया है।

- 5.17 ठेकेदार अपनी वर्दीबद्ध और प्रशिक्षित कर्मियों के माध्यम से यहां अपनी सेवाओं के प्रदर्शन के लिए जनशक्ति सेवाएं प्रदान करेगा और केवल ठेकेदार के इन कर्मियों और ब्यूरो किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होंगे और सभी सांविधिक देनदारियां (जैसे ईएसआई और ईपीएफ इत्यादि) ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- 5.18 संविदाकार को काम पर लगाए गए कार्मिकों के संबंध में समय समय पर संबद्ध प्राधिकारियों के पास ईपीएफ एवं ईएसआई के रूप में जमा की गई राशि के संपूर्ण विवरण ब्यूरो में प्रस्तुत करने होंगे।
- 5.19 बीआईएस में ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मियों की मजदूरी / वेतन सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा। ठेकेदार प्रत्येक महीने के 10 वें से पहले बीआईएस को इसका प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
- 5.20 संविदाकार को अपने कार्मिकों को दिए जाने वाले बोनस, छुट्टी, राहत आदि जैसे सांविधिक हितलाभों के भुगतान का विवरण समय समय पर ब्यूरो में पेश करना होगा।
- 5.21 संविदाकार अपने कार्मिकों को इयूटी निभाने के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना एवं सेवा के दौरान मृत्यु के लिए बीमा कवर करना होगा और इस संबंध में ब्यूरो का किसी तरह का कोई उत्तरदायित्व तथा बाध्यता नहीं होगी।
- 5.22 संविदाकार को पुलिस प्राधिकारी से सत्यापन के बाद पूर्वपद निर्धारित करने के बाद अपने सभी कार्मिकों को पहचानपत्र-पहचान दस्तावेज जारी करने होंगे और कार्मिकों को इसे दिखाने का निर्देश संविदाकार को देना होगा। ब्यूरो को तैनात कार्मिकों की कार्यकारिता का निरीक्षण करने का और उनकी कार्यकारिता संतोषजनक न पाए जाने पर उन्हें बदलने के आदेश देने का अधिकार होगा।
- 5.23 ठेकेदार के कर्मचारी बीआईएस के कर्मचारी नहीं होंगे और वे इस अनुबंध के तहत दावा और भत्ते, क्षतिपूर्ति, क्षति या उनके तैनाती / कर्तव्य को उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेंगे। इस समझौते के तहत ठेकेदार तैनाती से पहले उन्हें इस स्थिति के बारे में लिखित रूप में ज्ञात करेगा।

5.24 बीआईएस द्वारा 100 प्रतिशत संविधानिक या अन्य समय-समय देय ठेकेदार अपने कर्मियों को सभी लाभ भी प्रदान करेगा और इसके उपरान्त बीआईएस के पास इस खाते पर कोई देयता नहीं होगी। ठेकेदार श्रम कानून, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, मकान किराया भत्ता, ईपीएफ कानून, ईएसआईसी कानून, आयकर और न्यूनतम मजदूरी कानून, ठेकेदार श्रम (विनियम उन्मूलन अधिनियम) या किसी भी अन्य कानून का पालन और अनुपालन करेगा।

5.25 संविदाकार को अपनी लागत से अपने कर्मियों को गर्मियों और सर्दियों की यूनीफार्म के कम से कम दो सेट उपलब्ध कराने होंगे।

5.26 संविदाकार को वेज शीट की प्रति देनी होगी जिसमें कर्मियों को दे जा रहे मासिक वेजिस दर्शाए गए हों।

6. भुगतान की शर्तें

6.1 ब्यूरो को दी गई सेवाओं के लिए भुगतान बिल प्राप्त होने और सेवाओं के संतोषजनक होने के बाद ब्यूरो द्वारा सीधे संविदाकार को किया जाएगा। उद्धरित दरें सरकार द्वारा समय अथवा कर सेवा लगाए पर समय-अन्य ब्यूरो जाएंगी। की प्रभारित अतिरिक्त के मेहनताने न्यूनतम लागू यह तथा हों छोड़कर को करों लागू किसी

अवधि की तिअनुपस्थिति, यदि कोई हो, के लिए संविदाकार द्वारा प्रदत्त व्यक्ति का कार्मिक/संविदा मेहनतानाकार को नहीं देगा।

6.2 संविदा के अंतर्गत सेवाओं के लिए संविदाकार को बिल ड्युप्लीकेट में तथा महीना समाप्त होने पर तैयार करना होगा। इस संविदा के लिए बिलों का भुगतान और अन्य दावे सीधे संविदाकार के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। बिल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा अर्थात् उस समय लागू दरों पर उपकर काटा (टीडीएस) कर पर स्रोत में राशि कुल की बिल प्रत्येक साथ के अधिभार/जाएगा।

6.3 बीआईएस किसी भी दावे के तहत ठेकेदार के कारण समय-समय पर होने वाली किसी भी राशि के खिलाफ बनाए रखने और बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे बीआईएस के तहत या किसी अन्य अनुबंध / समझौते के तहत हो सकता है।

6.4 काम के लिए ली गई श्रमशक्ति के लिए किया जाने वाला भुगतान उपरोक्त पैरा 8.1 में किए गए संबंध परिवर्तनों के अनुसार निम्नलिखित सूत्र द्वारा किया जाएगा। इस सूत्र में साप्ताहिक छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टियों और अन्य राजपत्रित छुट्टियों को ध्यान में रखा गया है।

सूत्र : व्यक्तिगत रूप से देय मजदूरी =

[महीने में कुल मासिक मजदूरी / महीने की कुल संख्या] x

व्यक्ति द्वारा विशेष महीने में कार्य दिवसों की संख्या

7. जर्माना / दंड का प्रभाव:

- 7.1 संविदाकार को तैनात श्रमशक्ति को डीए सहित, यदि हो, मेहनताना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक देना होगा और ऐसा न किए जाने पर माह की 15 तारीख तक प्रति दिन रु 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा और संविदा को समाप्त किया जा सकता है। कार्यकारिता प्रतिभूति जब्त की जा सकती है बैंक गारंटी भुनाई जा सकती है।
- 7.2 संविदाकार का काम असंतोषजनक पाए जाने पर ब्यूरो को नीचे दिए गए विवरण के अनुस्सर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा जिसके लिए ब्यूरो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही करनेकी सूचना संविदाकार को देगा। यह कार्यवाही ना किए जाने पर जुर्माने की राशि उस माह के मासिक बिल में से काट ली जाएगी।

क्रम सं.	असंतोषजनक कार्य के पक्ष	दंड
i)	दिए गए कार्य को वर्कर द्वारा असंतोषजनक तरीके से करना	रु 500/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति
ii)	विलंब से आना अथवा जल्दी जाना अथवा अनाधिकृत अनुपस्थिति	रु 1000/-प्रति दिन प्रति व्यक्ति
iii)	वर्कर द्वारा दुरव्यवहार और अनैतिक गतिविधि	रु 1000/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति
iv)	अनुपस्थित कार्मिक के लिए ठेकेदार द्वारा स्थानापन्न का प्रावधान न करना	रु 1000/- प्रति दिन प्रति व्यक्ति

8. क्षतिपूर्ति

- 8.1 संविदाकार इस संविदा से अथवा इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को चोट लगने या संपत्ति लो हुआ नुकसान के लिए सभी क्षति और दावों तथा इससे संबंधित या इसके संदर्भ में सभी दावों, मांगों, प्रतियाओं, नुकसान, लागत, शुल्क और खर्च की समय अंतर्गत के प्रावधानों के कानूनों श्रम विभिन्न लागू पर समय-रहेगा। कर्ता तथा करेगा क्षतिपूर्ति को ब्यूरो
- 8.2 संविदाकार किसी प्रकार के पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और श्रम मुद्दे इत्यादि अथवा ऐसे अन्य वैधानिक उल्लंघनों के परिणामस्वरूप ब्यूरो के सभी दावों, क्षतियों, लागत, नुकसानों, खर्चों, कार्यवाही मुकदमों तथा कार्यवाहियों की क्षतिपूर्ति, सुरक्षा एवं रक्षा करेगा।

9. संविदा का निलंबन

- 9.1 ब्यूरो का संविदाकार की अपर्याप्त सेवा या कदाचार के कारण इस संविदा के किसी नियम या शर्तों के उल्लंघन के लिए संविदाकार को लिखित में 24 घंटे का नोटिस देकर किसी भी समय इस संविदा को अस्थायी तौर पर रद्द करने के स्वतंत्रता होगी जिसके लिए ब्यूरो का निर्णय अंतिम होगा और संविदाकार को इसमें किसी बदलाव या उसके कारण क्षतिपूर्ति का अधिकार नहीं होगा।
- 9.2 संविदाकार कि ओर से चूक होने की स्थिति में जिसे परिणामतः सेवाओं अपनी व तहत के संविदा :, देयताओं को पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो इसे एक गंभीर चूक माना जाएगा तथा यह निम्नलिखित कारणों में से किसी के होने पर माना जाएगा।
- बीआईएस की राय में, ठेकेदार ने अनुबंध को अस्वीकार कर दिया है,
 - उचित बहाने के बिना पूरा होने के लिए निर्धारित समय के भीतर इस अनुबंध के अनुसार जनशक्ति या सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहा है;

- c) अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व का अनुपालन करने के लिए बीआईएस, लिखित में, या अन्यथा निरंतर या झुकाव की उपेक्षा के बावजूद पिछली चेतावनी के बावजूद;
- d) अनुसूचित तारीख से 30 दिनों की अवधि से परे जनशक्ति प्रदान करने में देरी।
- e) यदि ठेकेदार जनशक्ति सेवाओं को प्रदान करने के लिए शासित किसी कानून या कानून का उल्लंघन कर रहा है;
- f) बीआईएस के फैसले में ठेकेदार ने अनुबंध के तहत सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने या भ्रष्ट करने में भ्रष्ट या धोखेबाज प्रथाओं में शामिल किया है।
- g) ठेकेदार स्वैच्छिक या अनैच्छिक दिवालियापन, या परिसमापन में प्रवेश करता है;
- h) ठेकेदार दिवालिया हो जाता है;
- i) एक रिसीवर, प्रशासक, ट्रस्टी या लिक्विडेटर को अपनी संपत्ति के किसी भी हिस्से पर नियुक्त किया जाता है;
- j) कोई भी कार्य किया जाता है या ठेकेदार या उसकी संपत्ति के संबंध में घटना होती है, जो किसी भी लागू कानून के तहत किसी भी पूर्ववर्ती कृत्यों या घटनाओं के लिए काफी समान प्रभाव डालती है;
- k) ठेकेदार (एक संघ के मामले में) ने बीआईएस की पूर्व स्वीकृति के बिना संघ के प्रत्येक सदस्य की कंसोर्टियम और / या जिम्मेदारी की संरचना में संशोधन किया है।

10. ब्यूरो द्वारा समापन

- 10.1 बिना कारण बताये तथा हानी या नुकसान की देयता के बिना किसी भी समय करार को समाप्त करना के लिए भी वैधानिक होगा जिससे संविदाकार को ऐसे समापन के कारण परेशानी हो सकती है। ऐसे समापन के लिए ब्यूरोद्वारा लिखित में संविदाकार को 15 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा।

11 संविदाकार का समापन का अधिकार

- 11.1 यदि संविदाकार संविदा की अवधि समाप्त होने से पहले संविदा अनुबंध को समाप्त करने का निर्णय लेता है तो उसे कम से कम 60 दिन अग्रिम में सूचित करना होगा। संविदा के तहत ऐसे किसी प्रकार का समापन ब्यूरो के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर होगा।

12 अप्रत्याशित घटना खंड

इसा संविदा की के दौरान किसी पक्ष द्वारा इस संविदा के अंतर्गत किसी कार्य को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी युद्ध, विरोधपूर्वक, सार्वजनिक शत्रुता के कृत्य, महामारी, असैन्य विद्रोह, तोड़फोड़, आगजनी, बाढ़, विस्फोट, कोरांटिन प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी या दैवीय घटना के (है गया की कृत्य ऐसे यहां में बाद जिसे) से तिथि की होने टितघ भटना ऐसी को पक्ष दूसरे को पक्ष एक तो हो विलंब उसमें अथवा जाए किया न कारण

21 दिनों के भीतर ऐसी घटना घटने ला नोटिस देना होगा और ऐसी घटना घटित होने के कारण किसी भी पक्ष को न तो संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा और न ही कोई पक्ष कार्य न होने अथवा उसमें विलंब के कारण दूसरे पक्ष से नुकसान का दावा करेगा। ऐसी स्थिति समाप्त होने अथवा पहले जैसी होने पर यथा शीघ्र डिलीवरी आरंभ करनी होगी, और डिलीवरी प्रारंभ कर दी गई है अथवा नहीं इस संबंध में ब्यूरो के

महानिदेशक का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। यदि ऐसी किसी घटना के कारण 60 दिनों से अधिक समय तक इस संविदा के अंतर्गत कोई कार्य पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं होता है या उसमें विलंब होता है तो कोई भी पक्ष संविदा को समाप्त कर सकता है और यह भी कि ब्यूरो को महानिदेशक द्वारा निर्धारित मूल्य, जो कि अंतिम होगा, पर संविदाकार से सभी अप्रयुक्त सामग्री सामग्री स्विकृत और -----, खरीदे गए घटक और इस प्रकार के संविदा या उसके भाग की समाप्ति के सम्य उत्पादन के दौरान संविदाकार के पास पड़े सम्मन को लेने की स्वतंत्रता होगी जिसे ब्यूरो सही समझता हो। इसमें वह खरीदे गए घटक और सामान नहीं होगा जो कि संविदाकार ब्यूरो की सहमति से रखना चाहता हो।

13 भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियाँ

13.1 ब्यूरो की अपेक्षा है कि इस बोली के तहत बोलीदायी ऐसे संविदाओं की प्राप्ति एवं निष्पादन के दौरान नैतिक मूल्यों के उच्चतम मानकों का अनुपालन करेगा तदुपरांत, ब्यूरो निर्धारित शर्तें निम्ननुसार परिभाषित करता है :

a) : "भ्रष्ट अभ्यास" का मतलब खरीद प्रक्रिया में या अनुबंध निष्पादन में सार्वजनिक अधिकारी की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्य के किसी भी चीज़ की पेशकश, देने, प्राप्त करने या आग्रह करने का मतलब है एवं

b) : "कपटपूर्ण रीतियों" से अभिप्राय है की ब्यूरो को हानी पहुंचाने के लिए भाड़े की प्रक्रिया या संविदा के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों का मिथ्या निरूपण, तथा कृत्रिम तौर पर आपरिस्पर्धात्मक स्तर पर संविदा मूल्य बाधित करने के लिए बोलीदातों पूर्व से करने जमा बोली करना वंचित से लाभों के प्रतिस्पर्धा खुली एवं मुक्त को ब्यूरो तथा है शामिल रीतियां कपटपूर्ण बीच के (में बाद या है। शामिल

13.2 यदि यह पाया जाता है कि संविदाकार संविदा दिए जाने से पूर्व, उसके दौरान या उसके बाद भ्रष्ट अथवा कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ब्यूरो दिए जाने वाले कार्य के प्रस्ताव को रद्द कर सकता है; यदि ब्यूरो को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि संविदा हेतु बोलीदाता प्रतिस्पर्धा या संविदा कार्य के निष्पादन में भ्रष्ट या कपटपूर्ण रीतियों में लिप्त है तो ब्यूरो संविदाकार को अनिश्चितकाल के लिए अथवा संविदाकार को अयोग्य घोषित किए जाने की तिथि से 24 माह के लिए अयोग्य ठहरा सकता है।

14. गोपनीयता

संविदाकार इस संविदा के तहत जनशक्ति और सेवाएं देते समय किसी भी व्यक्ति को प्राप्त मालिकाना जानकारी प्रकट नहीं करेगा जब तक कि ब्यूरो से लिखित में पूर्व सहमति ना ली जाए।

15. प्रचार प्रसार-

किसी भी प्रचार सामग्री में संविदाकार द्वारा ब्यूरो का नाम प्रयुक्त किया जाता है, तो संविदाकार को ऐसा केवल ब्यूरो से स्पष्ट लिखित अनुमति लेने पर ही करना चाहिए।

16. विचार और विवाद

16.1 ब्यूरो और संविदाकार के बीच अथवा इस संविदा से जुड़ी किसी असहमति या उपजे विवाद को दोनों पक्ष सीधे अनौपचारिक बातचीत से हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का विवाद हल

नहीं किया जा सके तो उस मामले कि अनुसूची 4 के तहत प्राधिकृत अधिकारी, बीआईएस द्वारा नियुक्त विवाचक के पास भेजा जायेगा। भारतीय विवाचक एवं समझौता अधिनियम 1996 के उपबंध लागू होंगे।

17 नोटिस भेजने का तरीका

- 17.1 अनुबंध में संदर्भित पार्टियों के बीच संचार केवल लिखित में प्रभावी होते हैं। एक सूचना केवल तब प्रभावी होगी जब इसे वितरित किया जाता है (भारतीय अनुबंध अधिनियम के संदर्भ में)।
- 17.2 संविदा में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सभी नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि संविदाकार के अंतिम ज्ञात स्थान या निवास या व्यवसाय वाले पते पर पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है, तो यह समझा जाएगा कि नोटिस सामान्य डाक से भेजा जाने पार इसे समय पार या डिलीवरी हुए के समान माना जाएगा।

18 शासी भाषा

- 18.1 सम्पूर्ण संविदा एवं इसके पत्राचार हेतु शासित भाषा केवल अंग्रेजी होगी।

19. कानून

- 19.1 संविदा भारतीय कानून के तहत, शासित एवं परिभाषित होगी।

20. कानूनी क्षेत्राधिकार

- 20.1 संविदाकार द्वारा केवल उत्तर प्रदेश की स्थानीय सीमा के भीतर पड़ने वाले सक्षम न्यायालय को छोड़कर, किसी भी न्यायालय में संविदा निष्पादन या भंग से संबद्ध मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

21. स्टाम्प ड्यूटी

- 21.1 संविदा से संबद्ध किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण प्रभारों का भुगतान संविदाकार वहन करेगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सही है। साथ ही यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने को निबंधनों एवं शर्तों की सूचना निविदा हमने /पढा एवं समझा लिया है।

मैं एवं शर्त बिना हमारी / मेरी लिए के निबंधनों एवं शर्तों सभी की निविदा हम / मैं कि है चनबद्धव हम / हैं। / हूँ सहमत लिए के पालन के निबंधनों एवं शर्तों इन तथा हैं। देते / हूँ देता स्वीकार्यता

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षरकर्ता

कंपनी / फर्म की मुहर

तिथि

स्थान :

अनुसूची 3
प्रपत्र संविदा करार

यह करार) _____ दिन के _____ माह 2018 (को किया गया है मैसर्स यह ,) _____ संविदाकार क नाम एवं पता जब (जिसे आगे इसमें संविदाकार कहा गया है) (इसमें जिसकी अभिव्यक्ति का अर्थ समझा जा सकता जा तक प्रसंगतगत या इसके अर्थ विरुद्ध न होगा तथा उसके उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दाकार शामिल होंगे, एक पक्ष तथा भारतीय मानक ब्यूरो, _____ (जिसे आगे इसमें ब्यूरो कहा है, जब इसकी अभिव्यक्ति का अभिप्राय समझा जाएगा, इसमें ताका प्रसंगतगत या उसके अभिप्राय विरुद्धन हो उत्तराधिकारी एवं सुपुर्दाकार शामिल होंगे, (दुसरे पक्ष के बीचा करार हुआ।

जबकि सेवा प्रदाता प्राधिकृत संविदाकार है एवं ब्यूरो निगमित निकाय है ब्यूरो है। अधिनिगमित द्वारा सांसद जो , खुल :अत है। इच्छुक का करने हायर को सेवाओं जनशक्ति पर आधार संविदा दर _____ े या विज्ञापित निविदा जाँच दिनांकित है। गई की आमंत्रित बोलियाँ से माध्यम के _____

जबकि संविदाकार देखें _____ अनुसार के दस्तावेज बोली ,की प्रस्तुति बोली अपनी ने (बोलीदाता सफल) गया चुना 'बोलीदाता सफलतम यथा' से अनुपालन के प्रक्रिया की बोली तथा तथा संविदा मूल्यों पर बातचीत कर ,) पत्र स्वीकार्यता को संविदाकार को _____ दिनांक(LOA) संख्या गया। दिया _____

निविदा दस्तावेज की अनुसूची) 2 -शर्त एवं निबंधन पक्ष दोनों तुहे अनुपालन के निबंधनों एवं शर्तों गई दर्शाएँ में (क सम्मिलित) :हुए सहमत पर इसिया जाए(

(प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

पता _____

फर्म की मुहर

(ब्यूरो के प्राधिकृत के हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम _____

पता _____

ब्यूरो की मुहर

साक्षीदार के हस्ताक्षर _____ साक्षीदार के हस्ताक्षर _____

साक्षीदार का नाम _____ साक्षीदार का नाम _____

पता _____ पता _____

अनुसूची ४

बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

कंपनी का नाम:

वैधता तिथि सहित पंजीकरण की श्रेणी:

पंजीकरण का मूल्य :

पत्राचार का पता:

दूरभाष संख्या:

ईमेल:

स्वामीत्व/भागिदार/निदेशक के विवरण :

नाम	पता	अर्हता एवं अनुभव

8 पिछले तीन मूल्य वर्षों के दौरान फर्म / कंपनी का वार्षिक कारोबार

(ऑडिट बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रतियां जमा की जानी चाहिए)

वित्तीय वर्ष	वार्षिक कारोबार (रु)	लेखा परीक्षित तुलनपत्र की प्रतियाँ (हाँ/नहीं)
पूर्व वित्तीय वर्ष (Y-1) 2018-2019		
दूसरा पूर्व वित्तीय वर्ष (Y-2) 2017-2018		
तीसरा पूर्व वित्तीय वर्ष (Y-3) 2016-2017		

9. कंपनी का पैन / टिन नम्बर:

10. वस्तु एवं सेवा कर का पंजीकृत नम्बर:

सूचना : कारोबार के राशि का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और ऑडिट किया जाना चाहिए और अलग से प्रतिलिपि संलग्नित किया जाए।

11 ईएमडी ड्राफ्ट नंबर / बैंक का दिनांक और नाम:

यह प्रमाणित करना है कि उपर्युक्त तथ्य मेरे ज्ञान और विश्वास के सर्वोत्तम के लिए सही और सही हैं। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया गया है कि मैंने / हमने निविदा सूचना के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है।

मैं / हम एक उपक्रम देते हैं और निविदा के सभी नियमों और शर्तों की हमारी बिना शर्त और स्पष्ट स्वीकृति देते हैं और इन नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

नाम और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

दिनांक:

जगह:

फर्म / कंपनी की मुहर

अनुलग्नक 5

पिछले तीन वर्षों (अनुबंध दस्तावेजों को संलग्न करने) के दौरान किए गए अनुबंधों के अन्य संगठनों का विवरण।

अ.क्र.	संगठन का नाम और पता, संपर्क संख्या	आपूर्ति की गई सुरक्षा गार्ड और हाउसकिपिंग रखने वाले कर्मियों की संख्या	अनुबंध की अवधि	चाहे सरकार / स्वायत्त निकाय / पीएसयू / इंडस्ट्रीज / एनजीओ इत्यादि	अनुबंध की राशि	समाप्ति का कारण (यदि वर्तमान में मान्य नहीं है)
1						
2						
3						

यह प्रमाणित किया जाता है कि इसके बाद के संस्करण तथ्य सच पूर्ण और मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हो रहा है। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया गया है कि मैंने / हमने निविदा सूचना के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है

नाम और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

फर्म / कंपनी की मुहर

दिनांक:

जगह:

नोट: - उपरोक्त के लिए संलग्न अनुबंध पत्रों का पुरस्कार

अनुलग्नक 6

(दरों की अनुसूची (मूल्य बोली)

(एक अलग कवर बाजार में मूल्य बोली के साथ संलग्न होना "लिफाफा 2")

कार्य का नाम: बीआईएस नागपुर में सुरक्षा गार्ड (अर्द्ध कुशल) और हाउसकीपिंग (अकुशल) प्रदान करने के लिए अनुबंध।

अ क्र.	व्यौरे	सुरक्षा गार्ड (अर्द्धकुशल)	हाउसकीपिंग (अकुशल)
1	प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति वीडिए सहित न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी (केंद्र सरकार के अनुसार)		
2	मकान किराया भत्ता (अगर लागू है तो)		
3	ईएसआई (अगर लागू है तो)		
4	ईपीएफ (अगर लागू है तो)		
5	EDLI (अगर लागू है तो)		
6	गैच्युइटी / टर्मिनल लाभ (अगर लागू है तो)		
7	बोनस (अगर लागू है तो)		
8	वर्दी धुलाई भत्ता (अगर लागू है तो)		
9	लागत प्रति दिन लागत (योग 1 to 8)		
10	(B) प्रति दिन लाभ / सेवा शुल्क प्रति दिन (निश्चित राशि के मामले में और% के संदर्भ में नहीं)		
11	कुल लागत प्रति दिन लागत (A) + (B)		
12	कुल योग (SG+HK)		

* उद्धृत दरों को न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम दरों से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है।

* दरें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी।

* कर बोली को करों को छोड़कर उद्धृत किया जाएगा। बीआईएस लागू करों का भुगतान करेगा।

* आंकड़ों और शब्दों में बताई गई रकम में किसी भी विसंगति / अंतर के मामले में, शब्दों में राशि प्रबल होगी और विचार किया जाएगा।

* उद्धृत दर अनुबंध के कार्यकाल में दृढ़ रहेगी और किसी भी कारण से कोई संशोधन अनुमत नहीं है।

* बीआईएस, नागपुर द्वारा कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

निविदाकार द्वारा घोषणापत्र:

यह प्रमाणित करना है कि इस निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले मैं/हमने यहां निहित सभी नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और उनके द्वारा स्वयं का पालन करने के लिए खुद दृढ़ संकल्प है।

दिनांक:

नाम और प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

ठिकाण:

फर्म / कंपनी की मुहर

अनुलग्नक 7

(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना है)

विषय: ब्लैक-लिस्टिंग और / या मुकदमेबाजी के बारे में घोषणा

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म / एजेंसी केंद्र सरकार / राज्य सरकार या केंद्र सरकार / राज्य सरकार के तहत किसी भी मंत्रालय या केंद्र सरकार / राज्य सरकार या पीएसयू या अन्य निकायों द्वारा काला सूचीबद्ध नहीं है। मैं / हम आगे यह घोषणा करते हैं कि भारत में कहीं भी फर्म / कंपनी या उसके मालिक / भागीदारों / निदेशकों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला पंजीकृत या लंबित नहीं है।

Date the day of 201

बोलीदाता का हस्ताक्षर _____

बोलीदाता का नाम और पता _____

फर्म / कंपनी की मुहर

अनुलग्नक 8

(कंपनी लेटर हेड पर दिया जाना है)

पुलिस सत्यापन के बारे में घोषणा

मैं / हम इस प्रकार घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म / एजेंसी सुरक्षा और हाउसकीपिंग कर्मियों को प्रदान करती है जिनके पुलिस सत्यापन किए गए हैं। मैं / हम आगे यह घोषणा करते हैं कि बीआईएस नागपुर में हमारी कंपनी / कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए कर्मियों के खिलाफ कोई आपराधिक मामला पंजीकृत या लंबित नहीं है

Date the day of 201

बोलीदाता का हस्ताक्षर _____

बोलीदाता का नाम और पता _____

फर्म / कंपनी की मुहर



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Statutory Body under the of Ministry of Consumer Affairs,
Government of India)

शाखा कार्यालय: दुसरी मंजिल, एन. आय. टी. बिल्डींग,
गोकुलपेठ, नागपुर 440010
Branch Office: Second Floor, NIT Building, Gokulpeth
Nagpur 440010
दुरभाष/Phone: निदेशक/Director - (0712) 2540807
पीबीएक्स/PBX - (0712) 2565171
फैक्स/FAX: (0712) 2554267
ईमेल/Email: ngbo@bis.gov.in
वेबसाईट/Website: <http://www.bis.gov.in>
GST NO. 27AAATB0431G1ZB

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
NIT BUILDING, 2ND FLOOR,
GOKULPETH, NAGPUR - 440010.
TEL: 0712-2565171

SCHEDULE - 1 NOTICE INVITING TENDERS (NIT)

Our Ref : NGBO/Admn. SG & HG(10)/17/2019-20

21.11.2019

- 1) BUREAU OF INDIAN STANDARDS(BIS), NAGPUR invites sealed tenders under two-bid system from reputed and experienced agencies for providing Security Guard and House-keeping and any other services at the above address.
- 2) Tenders are invited under two-bid system (Technical bid and Price bid) are invited by the BIS of Indian Standards, Nagpur from eligible Bidders/interested parties as per the Tender document. **Bids are to be submitted by post/courier only, any other mode (fax/e-mail etc) shall not be accepted.**
- 3) The tender document can be downloaded from www.bis.org.in (for reference only) and Central Public Procurement Portal (CPMP) site <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> as per the schedule as given below,

CRITICAL DATES TABLE

Published Date	26.11.2019, 1300 hrs
Bid Document Download/Sale Start Date	27.11.2019, 1300 hrs
Bid Submission Start	27.11.2019, 1300 hrs
Bid Submission End Date	18.12.2019, 1500 hrs
Bid Opening Date	18.12.2019, 16.00 hrs

- 4) The interested agencies are required to submit the technical and price bids separately. The bids in Sealed Cover-I containing "Technical Bid" and another Sealed Cover-II containing "Price Bid" should further be placed in a third sealed cover superscripted "Tender for Hiring of Security Guard, House-keeping and any other Services"

SL.NO.	CATEGORY	TENTATIVE REQUIREMENT
1	Semi skilled Security Guards (Minimum 10 th Standard)	01
2	Unskilled House-keeping (Minimum 10 th Standard)	01
3	Stenographer (Qualification any graduation degree with shorthand)	01
4	Data entry operator (Qualification Diploma or any type of technical degree)	01

and should reach BIS Nagpur by 15.00 hrs on or before **18.12.2019**. The bidders may send their bid(s) either through speed post or courier or alternatively they may also drop their bid document in the tender box kept at the security booth (Main entrance of the office) by the last date and time. The technical bids shall be opened on the last day of receipt of tenders at 11.30 hrs in office of BIS Nagpur in the presence of the authorized representatives of the bidders.

5) **Eligibility –**

- Should have a valid licence holding Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 for deploying the personnel to provide the Manpower & Security services in Maharashtra.
- Should have minimum three years of experience of providing Manpower & Security services to large private firms and/or Departments/Ministries of the Government of India/PSUs (copies of two work orders received from large private firms and/or Govt. depts./PSUs during each of three years, including current price year, should be enclosed).
- Should have a valid PAN issued by the Income Tax Department, also registered with Employees Provident fund Organization, and Employees State Insurance Corporation, Goods and Services Tax Department (attested copies has to be attached).
- Should have minimum turnover of Rs. Six Lakhs per year during each of the last three years from providing manpower services (copies of IT Returns of the last three years should be enclosed).
- Should not have been blacklisted by the Depts/Ministries of the Govt. of India/State Govt. /PSUs (Declaration has to be submitted in the specified format).

- 6) **Proposed validity of the contract: Maximum three years.** However, the contract will be initially awarded for **one year and extended every year** subject to review on annual basis of the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.

- 7) **Opening of Bids:** Technical Bids shall be opened at 16.00 hrs on **18.12.2019** after technical evaluation of bids; the price bids shall be opened of only those bidders who qualify in technical evaluation for which check-list is given in Annexure 1

- 8) Earnest Money Deposit: Rs. 20,000/-

- 9) Performance Security Deposit: 10% of the total annual value of the award of contract.

- 10) Validity of Bids: 90 days from opening of technical bid.

- 11) The BIS reserves the right to reject any or all the bids without assigning any reason.

Scientist F & Head (NGBO)



Scientist F & Head (NGBO)

SCHEDULE -2
INSTRUCTIONS TO BIDDER

Name of the work: Contract for Providing of Security Guard, House-keeping and any other Services in BIS, Nagpur.

1. Notice inviting Bids:

- 1.1 Bids under two bid systems (Technical bid and Price bid), are invited by the BIS of Indian Standards, (BIS), Nagpur from eligible Bidders for providing Security Guard and House-keeping Services.

2. Issue of Tender Document:

- 2.1 The Tender document will be available during the period indicated in the Critical Date sheet.
- 2.2 The Tender document can also be downloaded from the website of the BIS www.bis.org.in (for reference only) and the CPPP website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> as per the schedule as given in the **CRITICAL DATES TABLE**.
- 2.3 Any change that will be made in the Tender document by the Competent Authority after issue of the Tender will be intimated to the prospective Bidders in the form of Corrigendum/Addendum for incorporating the same in the Bid before submitting the Bid.
- 2.4 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any of these are found, the Bid may be summarily rejected.
- 2.5 The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its Bid. The BIS shall, in no case, be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or the outcome of the Bidding process.

3. **Language of Bid/Contract:** The language of the Bid shall be in English/Hindi and all correspondence, etc. shall conform to the English/Hindi language.

4. Clarification on Tender Document

- 4.1 The firm interested for participation in tender may attend the office between 9.30 AM to 18.00 PM on all working days except Saturdays, Sundays and holidays to have any clarification on matters and quantum of work.
- 4.2 No alterations and additions anywhere in the Bid Document are permitted. If any, of these is found, the Bid may be summarily rejected. In case of any doubt, the Bidder can seek clarification through the CPPP portal between specified clarification date & time.

5. Validity of Bids:

- 5.1 The Bids will be valid for a period of 90 days from the date of opening of price bid.

6. Earnest Money/ Bid Security:

- 6.1 The Bidder shall deposit with the BIS a sum indicated in the notice inviting tender, as an interest free Earnest Money Deposit (EMD). The Earnest Money shall be deposited in the

form of Demand Draft/Pay Order in favour of BIS of Indian Standards, payable at Nagpur.

- 6.2 The failure or omission to deposit the Earnest Money shall disqualify the Bid and the BIS shall exclude from its consideration such disqualified Bid(s).
- 6.3 Bidder shall not revoke his Bid or vary its terms and conditions without the consent of the BIS during the validity period of the Bid. If the bidder revokes the bid or varies its terms or conditions, the Earnest Money deposited by it shall stand forfeited to the BIS without prejudice to its other rights and remedies and the Bidder shall be disentitled to submit a Bid to the BIS for Hiring of Manpower and security Services during the next twenty-four (24) months effective from the date of such revocation.
- 6.4 If the successful Bidder does not pay the Performance Security in the prescribed time limit or fails to sign the agreement bond, Earnest Money Deposit of the successful bidder will be forfeited by the BIS.
- 6.5 The Earnest Money of unsuccessful Bidder shall be refunded after the successful Bidder furnishes the required Performance Security to the BIS and signs the agreement or within thirty (30) days of the expiry of validity period of Bids, whichever is earlier.

7. Method of Quoting Rates

- 7.1 The bidder is expected to work out his rates keeping in view the technical specifications & conditions and arrive at the amount to be quoted. The Bidder shall be deemed to have satisfied itself before Bidding as to the correctness and sufficiency of its Bid and of the rates and prices quoted in the attached schedules, which rates and prices shall, except as otherwise provided, cover all its obligations under the contract and all matters and things necessary for proper fulfilling his obligations under the contract.
- 7.2 The Price Bid shall be exclusive of any Goods and Services tax or any other applicable \ taxes. The taxes as may be levied by the Government from time to time shall be charged by the contractor in addition to the rates quoted in the bid by the contractor.
- 7.3 The quoted consolidated monthly amount/prices shall be inclusive BIS's contribution towards (i) House Rent Allowance (as applicable), (ii) ESIC (as applicable), (iii) EPF (as applicable), (iv) Gratuity (as applicable), (v) Bonus (as applicable) & (vi) Unifarma washing allowance (as applicable), etc. It shall also include cost of training and uniform, Supervision of company etc. Total Consolidated daily amount (including Minimum Wages, HRA, ESIC, EPF, Bonus, Washing allowance etc.) per person should be quoted by the bidder under each of the category separately.
- 7.4 **The prices are to be quoted by bidders in the tabular format attached and no row /column should be left blank.**
- 7.5 Prices shall be valid for a period of one year. However, on revision of minimum **Central wages by Government of India** the same shall be revised by the BIS. However, even on revision of minimum wages, the contractor's profit in absolute terms (not in percentage terms) shall remain the same throughout the contract period as was quoted by the contractor in his bid.

8. Last Date for Submission

- 8.1 Bids shall be submitted as per schedule specified in **Schedule 1** not later than the time and date specified in the **CRITICAL DATES TABLE**.
- 8.2 In the event that the specified date for the submission of Bid offers is declared a holiday,

the offers will be received up to the appointed time on the next working day.

9. Contents of Bid Document

- 9.1 The tender shall be submitted offline in two parts, viz technical bid and price bid. All the pages of bid being submitted must be sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before submission.

10. Technical Bid:

- 10.1 The documents to be furnished by the Contractor as the Technical bid are as per the check list **given in Annexure 1**
- 10.2 Technical bid shall be put in Sealed Cover-I superscripted "Technical Bid".

11 PRICE BID:

- 11.1 The following are to be furnished by the Contractor as single Price Bid :-
- a) Price bid in the form of tabular format specified in **Annexure 6**

12 Other Important Points to be noted by the Bidder:

- 12.1 The Bidder shall submit the Bid which satisfies each and every condition laid down in Tender document, failing which the Bid shall be liable to be rejected. Conditional Bids will be rejected.

13 Opening of Bid

- 14.1 Bids will be opened as per date/time as mentioned in the **Critical Dates Table**.

14 Shortlisting of Bidders

- 14.1 The BIS will short-list technically qualifying Bidders and Responsive Price Bids of only those Bidders, who qualify in technical bids, will be opened at the indicated time and date.

15 Technical Bids

Only those technical bids which qualify all the requirements of the Tender document shall only be considered. Bidders representatives may be present at the time of bid opening at the indicated time and date at BIS Nagpur.

16 Criteria for evaluation of price bids

- 16.1 The price bids of only those bidders, who qualify in technical bids, will be opened. For the purpose of evaluation of bids, the rates quoted by the bidders in the schedule of rates for the both Security and Housekeeping combinedly shall be considered.
- 16.2 The tender shall be awarded to the party that quotes the lowest value for the total scope of work in totality and shall not split in sub sections.

17 Acceptance of Bid

- 17.1 Acceptance of Bid shall be done by the Competent Authority of the BIS. The BIS is not bound to accept the lowest or any Bid. The BIS reserves the right to reject any or all Bids

received without assigning any reason whatsoever. The acceptance of Bid will be communicated to the successful Bidder in writing by the authorized officer of the BIS.

18. Execution of Contract Document

- 18.1 The successful Bidder after deposit of Performance Security is required to execute an Agreement in duplicate in the form attached with the Bid Documents on a stamp paper of proper value of Rs. 100/- to be purchased in Maharashtra as per Annexure 3. The agreement should be signed within 15 days from the date of acceptance of the Bid. The Contract will be governed by the Agreement, the Terms & Conditions(T&C) of the tender and other documents as specified in the T&C.
- 18.2 It shall be incumbent on the successful Bidder to pay stamp duty, legal and statutory charges for the Agreement, as applicable on the date of the execution.

19. Right of the BIS

- 19.1 BIS, reserves the right to suitably increase/reduce the scope of work mentioned in the scope of work in the tender document.
- 19.2 In case of any ambiguity in the interpretation of any of the clauses in Tender Document or the conditions of the Contract, interpretation of the clauses by the BIS shall be final and binding on all Parties.

- 20. Tender Notice and these instructions shall form part of the Contract.

Annexure -1

CHECK-LIST (TECHNICAL BID)

Sl.No.	Description of requirement	Yes/No	Page No
1	The firm is registered with the Regional labour Commissioner under provisions of contract labour Act.	Yes/No	
2	License under the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 and the Rules framed there under by the respective state govt.	Yes/No	
2	Photocopy of Registration of Firm(s) including details of the proprietor/partner/director with regard to name, address for communication, telephone number, e-mail etc (Please see Annexure 4)	Yes/No	
3	Photocopy of power of attorney of person signing the Bid shall be enclosed. The power of attorney shall be signed by all the partners. In case of private limited/public limited companies, the power of attorney shall be supported by board resolutions and appropriate and adequate evidence in support of the same shall be provided.	Yes/No	
4	Copy of Registration certificate of provident fund commissioner	Yes/No	
5	Copy of Registration certificate/allotment letter of GST number	Yes/No	
6	Copy of Registration certificate/allotment letter PAN from Income Tax Department	Yes/No	
7	Copy of Registration certificate of ESI	Yes/No	
8	Other organizations where accounting works were/are undertaken (attach contract award letters from three parties with in last three years) as per Annexure 5	Yes/No	
9	DD of Rs.20,000/- as EMD	Yes/No	
10	Single Price bid sealed in separate envelope (as per Annexure 6)	Yes/No	
11	List of Arbitration cases (if applicable) If yes – Enclose list of cases If no – Submit declaration that there are no arbitration cases.	Yes/No	
12	Acceptance of terms and conditions. Each page of terms and conditions also to be duly signed as token of acceptance and submit as part of tender document. (Annexure 2)	Yes/No	
13	Copy of Income tax return of last three years with minimum turnover of Rs. 6 lakhs each year.	Yes/No	
14	Declaration to the effect that the agency has not been	Yes/No	

	blacklisted by the Depts/Ministries of the Govt. of India/State Govt. /PSUs. as per <u>Annexure 7</u>		
15	Declaration to the effect that the security guard, housekeeping and any other personnel deputed to BIS Nagpur shall have been screened by police verification. as per <u>Annexure 8</u>	Yes/No	

NOTE: Submission of all the documents mentioned above along with declaration, is mandatory. Non submission of any of the documents above will render the bid to be rejected

(To be given on Company Letter Head)

Date:

To,

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work:

Dear Sir,

- 1) I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:
_____ as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).
- 2) I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.) which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.
- 3) The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organization too have also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
- 4) I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.
- 5) I / We do hereby declare that our Firm has not been blacklisted/ debarred by any Govt. Department/Public sector undertaking.
- 6) I / We certify that all information furnished by the our Firm is true & correct and in the event that the information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/ organisation shall without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract , without prejudice to any other rights or remedy including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

Annexure-2

TERMS AND CONDITIONS OF CONTRACT

1) **Validity of the contract:** Three Years. However, the contract will be initially awarded for one year and will be extended every year subject to review on annual basis and the satisfactory services of the firm and on the mutual consent of both the parties.

2) **Detailed scope of the work**

The Contractor shall provide the following as given below:

Sl. No.	Category	Tentative Requirement of manpower	Minimum Qualification & Experience
1	Security Guard Skilled	1	Minimum 10 th Standard with experience of related work
2	Housekeeping Unskilled	1	Minimum 10 th Standard
3	Stenographer	1	Minimum qualification any graduation degree with Shorthand
4	Data entry operator	1	Minimum qualification Diploma or any type of technical degree

2A **Security Guard:**

- a) To provide security guard and house-keeping for employees, BIS property like material/equipment, installation and buildings, other structure etc in BIS Nagpur.
- b) To arrange/assist the regular staff of BIS Nagpur in opening & closing of the buildings and rooms before & after office hours as necessitated/directed by the BIS on working and closed days;
- c) To ensure that doors/windows, electric bulbs, fans, ACs, water taps etc. are not left open after the working hours on working days as well as on off days, as the case may be; Also to ensure that all outdoor lights are switched on in the evening and switch off on sunrise;
- d) Arrangement regarding maintenance and record of inward and outward movement of men and material and having proper check on the same as per the instructions given by the BIS from time to time;
- e) Ensure the entrance of only authorized persons (BIS employees and others personnel-engaged for providing services). Visitors may enter only through visitor slip as per approved procedure with proper entry at the gate and to meet concerned officials only. It should also be ensured that this duty is discharged sincerely with firm but decent behaviour.
- f) The Security Guard and House-keeping personnel deployed shall take regular rounds of the premises to maintain vigil and remain alert
- g) Keeping the BIS informed of all the matters of security and house keeping
- h) To keep the management informed of all security matters, intelligence or

- labour union meetings, etc.
- i) To assist in samples handling, etc.

2B Housekeeping services/works to be provided by the agency

Daily Basis:

- a) Dusting and cleaning of tables, chairs, trays, computers, telephones, filing cabinets, cupboards, racks, fans, photocopier machines etc
- b) Dusting and cleaning of fixtures/furniture, Standards racks etc
- c) Dusting and cleaning of Counters
- d) Dusting and cleaning of wooden panels in the premises
- e) Cleaning of reception area, sofa sets etc
- f) Sweeping and cleaning of entire floor space
- g) Mopping of entire floor space including cement area
- h) To clean the Sample Cell and remove the unpacked crates/waste
- i) Movement of files
- j) Packing of samples
- k) Making of tea and serve to all officer
- l) To cleaning tea related utensils.

Weekly Basis:

- a) Cleaning of various cabin glasses
- b) Cleaning of Venetian blinds Page
- c) Cleaning of windows and frames
- d) Removing cobwebs from the premises

Monthly Basis:

- a) Dusting of Ceiling Fans
- b) Cleaning of all Stack rooms

2C. Stenographer and Data entry operator:

Daily:

Any type of official works instructed by officer should be done in time

3. Parties to the Contract

3.1 The parties to the contract shall be the Contractor, and BIS.

3.2 The person signing the offer or any other document forming the part of Contract on behalf of other persons of a firm shall be deemed to have due authority to bind such person/s or the firm as the case may be, in all matters pertaining to the Contract. If it is found that the person concerned has no such authority, the BIS may, without prejudice to any other Civil/Criminal remedies, terminate the Contract and hold the signatory and / or the firm liable for all costs and damages for such termination.

4. Performance Security

4.1 To ensure due performance of the contract, an interest-free Performance Security, 10% of the annual value of contract shall be deposited by the contractor in the form of an Account payee Demand Draft in favour of 'Bureau of Indian Standards' payable at Nagpur.

4.2 Performance Security will remain valid for a period of sixty days beyond the date of

- 4.3 Any amount due/recoverable from the Contractor under the terms of this Contract or any other account, may be deducted from the amount of Performance Security Deposit. In case, the amount of Performance Security Deposit is reduced by reason of any such deduction, the Contractor shall, within fifteen (15) days of receipt of notice of demand from the BIS, make good the deficit.
- 4.4 If during the term of this Contract, the Contractor is in default of the due and faithful performance of its obligations under this Contract, or any other outstanding dues by the way of fines, penalties and recovery of any other amounts due from the Contractor, the BIS shall, without prejudice to its other rights and remedies hereunder or at the Applicable Law, be entitled to call in, retain and appropriate the Performance Security.
- 4.5 Nothing herein mentioned shall debar the BIS from recovering from the Contractor by a suit or any other means any such losses, damages, costs, charges and expenses as aforesaid, in case the same shall exceed the amount of the Performance Security.
- 4.6 The Performance Security shall be retained until all disputes, if any, between both the parties have been settled to the entire satisfaction of the BIS. The Performance Security shall be returned to the Contractor by the BIS within sixty days following the Completion Date or Termination Date of this Contract provided that there are no outstanding claims of the BIS on the Contractor.

5. Obligations of the Contractor

- 5.1 The Contractor shall provide manpower services at BIS's premises as per Clause 2 which may be amended from time to time by the BIS during the Contractual period and it shall always form part and parcel of the Contract. The Contractor shall abide by such assignments as provided by the BIS from time to time.
- 5.2 BIS shall have the right, within reason, to have any personnel removed who is considered to be undesirable or otherwise. However, the Contractor has no right to remove any personnel without prior intimation and approval of the BIS, emergencies, exempted.
- 5.3 The Contractor shall exercise adequate supervision to ensure performance of Manpower services.
- 5.4 Adequate supervision shall be provided to ensure correct performance of the services in accordance with the prevailing requirements agreed upon between the two parties.
- 5.5 All necessary reports and other information shall be supplied immediately as required and regular meetings will be held with the BIS.
- 5.6 In case the Contractor fails to fulfil the minimum statutory requirements (ESIC/EPF) as per the conditions of the tender document and fails to produce the concerned documents, it shall be treated as breach of the Contract and the Contractor is liable to be blacklisted by the BIS, in addition to forfeiting of the Performance Security.
- 5.7 In case of breach of any conditions of the contract and for all types of losses caused including excess cost due to hiring manpower services in the event of Contractor failing to provide requisitioned number of manpower, the BIS shall make deductions at double the rate of hiring rate on prorata basis from the bills preferred by the Vendor or that may become due to the Vendor under this or any other contract or from the performance security or may be demanded from him to be paid within seven days to the credit of the BIS.

- 5.8 The BIS reserves the right to monitor the clock-in time and clock-out time for the Contractor's employees as well as to give working instruction directly to the contractor's employees if in the opinion of the BIS this is necessary.
- 5.9 The Supervisor, who has sound knowledge and experience in manpower services, shall be the person in-charge of daily operation of manpower services responsible with the BIS. These personnel shall be strong in supervisory and communication skill, initiative, enthusiastic and reliable. The Supervisor may be required to perform his duties outside the normal working hours at the Contractor's own cost.
- 5.10 All manpower supplied by the contractor should be observant keen, alert, willing and pleasant. Adequate training for the effective, respective jobs shall be provided by the Supervisor to guarantee a high standard of work.
- 5.11 Unless written consent is given by the BIS, the Contract or any part, share, or interest in it, must not be transferred or assigned by the Contractor, directly or indirectly to any persons whomsoever.
- 5.12 The contractor's employees must observe all reasonable instruction of the BIS.
- 5.13 The BIS shall have power to vary the work reasonably described in the Specifications and Service Schedule and no variation shall void this contract.
- 5.14 All services performed under this contract shall be subject, before payment, to inspection by the BIS who may withhold payment when in his opinion any service has not been performed in accordance with the requirements of the contract. Payment for services will be made monthly in arrears by the BIS only if the services have been performed to the satisfaction of the BIS.
- 5.15 The contractor shall be solely liable for and shall indemnify the BIS in respect of any liability, loss, claim or proceeding whatsoever, arising under any legislation or at common law in respect of personal injury to or the death of any person whomsoever arising out of or in the course of or caused by the execution of the work whether or not due to his negligence and shall effect adequate insurance cover in respect of such risks and shall furnish the BIS with a copy of the insurance policy.
- 5.16 The BIS has the right to verify the mandatory educational/technical qualifications, age-proof and experience certificates in respect of the manpower provided by the contractor in respective category, and reject them for suitable replacement if they found not fulfilling the requirement of the BIS
- 5.17 The Contractor shall provide manpower services through its uniformed and trained personnel for the performance of its services hereunder and these personnel of the Contractor only and the BIS shall not in any manner be liable and all statutory liabilities (such as ESI & EPF etc.) as shall be paid by the contractor.
- 5.18 The Contractor shall submit to BIS the complete details of amount deposited on account of EPF and ESI in respect of the deployed personnel to the concerned authorities every month.
- 5.19 The wages/salary of the personnel deployed by the contractor in BIS shall be made directly in the Bank Account of the individual. The contractor shall submit a proof of the same to the BIS before 10th of every month.
- 5.20 The Contractor shall produce to the BIS every month the details of payment of statutory benefits like bonus, leave, relief etc. to its personnel.
- 5.21 The Contractor shall cover its personnel for personal accident and death whilst performing the duty and the BIS shall own no liability and obligation in this regard.

- 5.22 The Contractor after setting antecedents verified from police authorities shall issue identity cards/identification documents to all its personnel who will be instructed by the Contractor to display the same. The BIS has the right to inspect the performance of the personnel deployed by the contractor and order for replacing them if the performance is not satisfactory.
- 5.23 The personnel of the Contractor shall not be the personnel of the BIS and they shall not claim and salary or allowances, compensation, damages or anything arising out their deployment/ duty under this contract. The Contractor shall make them known about this position in writing before deployment under this agreement.
- 5.24 The Contractor shall pass on all statutory benefits lime cost per head per day and all othr allowances contributed by BIS from time to time 100% basis to its personnel and the BIS shall not have any liability whatsoever on this account. The Contractor shall also abide by and comply with the Labour Laws, Workmen Compensation Act, EPF Laws, ESIC Laws, Income tax and Minimum Wages Laws, Contractor Labour (Regulations Abolition Act) or any other law in force.
- 5.25 The Contractor shall submit to BIS a copy of wages sheet showing monthly wages paid to its personnel.
- 5.26 The Contractor shall not deploy any person below the age of 18 years old and more than 60 years old. Manpower engaged for the purpose shall be pre-trained and experienced in requisite field.
6. **Payment Terms**
- 6.1 The payment towards the services will be made by the BIS directly to the Contractor on receipt of bill on completion of month. The rates quoted shall be exclusive of GST or any other applicable taxes as may be levied by the Government from time to time and the same shall be charged in addition to the applicable Minimum Wages. BIS will not pay wages to the contractor for the period of absence of, if any individual/personnel provided for by the contractor.
- 6.2 Bills for services provided under this contract shall be prepared in duplicate by the Contractor immediately after the completion of month and accepted by the BIS. The payment of bills and other claims arising out of the contract will be made by Account Payee Cheque drawn in the name of the Contractor/Credited directly in Bank Account of the Contractor. The payment will be subject to the provisions of the Income Tax Act, 1961 i.e., Tax will be deducted at source with cess/surcharge, at the prevailing rates, from the gross amount of each bill submitted.
- 6.3 The BIS reserves the rights to retain and set off against any sum which may be from time to time due to the Contractor under any claim, which the BIS may have under this or any other Contract/Agreement.
- 6.4 The payment shall be made by the following formula with relevant changes as per above. The contractor shall also pay to his personnel by this formula. This formula takes care of all the paid weekly holidays, national holidays and other gazetted holidays.

Formula: Wages payable to individual = [Total Monthly Wages as above / No. of days in the month] x No. of working days in the particular month by the individual.

Total

7. Imposition of fines / penalty

- 7.1 The Contractor shall disburse wages to its deployed Manpower inclusive of DA, if any, latest by 7th of every month, failing which penalty of Rs.500/-per day will be imposed upto 15th of the month and the contract shall be liable to be terminated. Performance Security is liable to be forfeited. The BIS will have the power to appoint any other contractor for the manpower services at the risk and cost of the Contractor.
- 7.2 Whenever and wherever it is found that the assigned work is not performed upto the entire satisfaction of the BIS, it will be brought to the notice of Contractor by the BIS and if no action is taken immediately, penalties will be imposed by invoking penalty clause as mentioned below and the amount of penalty shall be deducted from the bills of the contractor for the same month.

Sl No	Aspects of Unsatisfactory Work	Penalty
I	Workers perform unsatisfactory performance for the job assigned	Rs 500/- per day per person
ii	Late attendance or early going or unauthorized	Rs 1000/- per day per person
iii	Workers' misbehavior and unruly activities	Rs 1000/- per day per person
Iv	Non-provisioning of substitute by the contractor for absent personnel	Rs. 1000/- per day per person

8. Indemnity:

- 8.1 The Contractor shall indemnify and keep indemnified the BIS against all losses and claims for injuries or damage to any person or any property whatsoever which may arise out of or in consequence of the Contract and against all claims, demands, proceedings, damages, costs, charges and expenses whatsoever in respect of or in relation thereto under the provisions of various labour laws as amended anytime
- 8.2 The Contractor shall indemnify, protect and save the BIS against all claims, losses, costs damages, expenses, action suits and other proceeding, resulting from infringement of any patent, trademarks, copyrights and labour issues etc. or such other statutory infringements.

9. Suspension of Contract

- 9.1 The BIS shall be at liberty at any time to suspend temporarily this Contract on giving 24 hours notice in writing to the Contractor for breach of any of the terms and conditions of this Contract for insufficient service or misconduct of the Contractor as to which the decision of the BIS shall be final and the Contractor shall not be entitled to any change or compensation by reason thereof.
- 9.2 An event of default on the part of the Contractor, which results from the Contractor being unable to fulfill its Service obligations under the Contract, shall be deemed as a serious default, and is said to have occurred due to any of the following causes:
- (a) In the opinion of the BIS, the Contractor has repudiated the Contract,

- (b) Without reasonable excuse has failed to provide manpower or Services in accordance with this Contract within the time stipulated for completion;
- (c) Despite previous warning from the BIS, in writing, or otherwise persistently or flagrantly neglecting to comply with any of its obligations under the Contract;
- (d) Delays in providing manpower beyond a period of 30 days from the scheduled date.
- (e) If the Contractor is in breach of any law or statute governing to provide manpower services;
- (f) The Contractor, in the judgement of the BIS, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in carrying out the Services under the Contract.
- (g) The Contractor enters into voluntary or involuntary bankruptcy, or liquidation;
- (h) The Contractor becomes insolvent;
- (i) A receiver, administrator, trustee or liquidator is appointed over any substantial part of its assets;
- (j) Any act is done or event occurs with respect to the Contractor or its assets, which, under any applicable law has substantially similar effect to any of the foregoing acts or events;
- (k) The Contractor (in case of a consortium) has modified the composition of the consortium and/or the responsibility of each member of the consortium without prior approval of the BIS.

10. Termination by the BIS

- 10.1 It shall also be lawful for the BIS to terminate the Agreement at any time without assigning any reason and without being liable for loss or damage which the Contractor may suffer by reason of such termination, by giving the Contractor 15 days notice in writing by the BIS for such termination. Any such termination shall be without prejudice to any other right of the BIS under the Contract.

11 Contractor's right to terminate

- 11.1 If the Contractor decides to terminate the Contract before the end of contract period, the Contractor has to give an advance intimation of at least 60 days. If the Contractor terminates the agreement without prior notice of 60 days, then the entire security deposit will be forfeited.

12 Force Majeure Clause

- 12.1 If at any time during the continuance of this Contract, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this contract shall be prevented or delayed by the reasons of any war, hostility, acts of the public enemy, epidemics, civil commotion, sabotage, fires, floods, explosion, quarantine restrictions, strikes, lockouts or act of God (hereinafter referred to as such acts) provided notice of happening of such event is given by one party to the other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall be by reasons of such event, be entitled to terminate this contract nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or the delay in performance, and deliveries under the contract shall be resumed as soon as practicable after such event has come to an end or ceased to exist, and the decision of the Director General of the BIS as to whether the deliveries

have been so resumed or not, shall be final and conclusive, **PROVIDED FURTHER** that if the performance in whole or part of any obligation under this contract is prevented or delayed by reason of any such event for a period exceeding 60 days, either party may at its option terminate the contract provided also that the BIS shall be at liberty to take over from the Contractor at a price to be fixed by Director General, which shall be final.

13 Corrupt or Fraudulent Practices

13.1 The BIS requires that the Bidders under this Bid observe the highest standards of ethics during the procurement and execution of such Contracts. Accordingly, the BIS defines the terms set forth as follows:

- (a) "corrupt practice" means the offering, giving, receiving or soliciting of anything of value to influence the action of the public official in the procurement process or in contract execution; and
- (b) "fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or a execution of a contract to the detriment of the BIS, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Contract Prices at artificial non-competitive levels and to deprive the BIS of the benefits of the free and open competition.

13.2 The BIS will reject a proposal for award, if it determines that the Contractor has engaged in corrupt or fraudulent practices before, during or after the period of contract; The BIS will hold the Contractor ineligible to be awarded a contract, either indefinitely or for a period of 24 months from the date of declaring the contractor ineligible if it at any time determines that the Contractor has engaged in corrupt and fraudulent practices in competing for, or in executing the Contract.

14 Confidentiality

The Contractor shall not divulge or disclose proprietary knowledge obtained while providing manpower and services under this Contract to any person, without the prior written consent of the BIS.

15 Publicity

Any publicity by the Contractor in which the name of the BIS is to be used, should be done only with the explicit written permission of the BIS.

16 Disputes & Arbitration

16.1 The BIS and the Contractor shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiation, any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract. If a dispute(s) of any kind whatsoever that cannot be resolved the same shall be referred to the Arbitrator, appointed by the Authorized Officer indicated in Schedule-4. The provisions of the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply.

17 **Mode of serving Notice**

- 17.1 Communications between Parties which are referred to in the Contract are effective only when in writing. A notice shall be effective only when it is delivered (in terms of Indian Contract Act).
- 17.2 All notices shall be issued by the authorized officer of the BIS unless otherwise provided in the Contract. In case, the notice is sent by registered post to the last known place or abode or business of the Contractor, it shall be deemed to have been served on the date when in the ordinary course of post these would have been served on or delivered to it.

18 **Governing language**

- 18.1 Governing language for the entire contract and communication thereof shall be English only.

19 **Law**

The contract shall be governed and interpreted under Indian Laws.

20 **Legal Jurisdiction**

- 20.1 No suit or other proceedings relating to performance or breach of Contract shall be filed or taken by the Contractor in any Court of law except the competent Courts having jurisdiction within the local limits of Nagpur only.

21 **Stamp duty:**

- 21.1 The Contractor shall bear and pay any stamp duty and registration charges in respect of the Contract.

Declaration by the Tenderer:

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them.

Name and Signature of the Authorized Signatory

Seal of the Firm/Company

Dated:

Annexure 3
CONTRACT FORM AGREEMENT

THIS AGREEMENT made on this _____ day of _____ 2018 between
M/s _____ (Name and Address of the Contractor) (hereinafter referred to as the
CONTRACTOR, which expression shall, unless it be repugnant to the context or meaning
thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the ONE PART and the
Bureau of Indian Standards, 2nd Floor, NIT Building, Gokulpeth, Nagpur 440010, BIS of Indian
Standards (hereinafter referred to as the BIS, which expression shall, unless it be repugnant to
the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors and assigns) of the
OTHER PART.

WHEREAS the Contractor is a service provider. AND WHEREAS the BIS is a body corporate,
enacted by Parliament. The BIS intends to hire manpower services; therefore, invited bids
through Open or Advertised Tender enquiry dated _____

WHEREAS the Contractor (successful bidder) submitted his bid vide _____ in accordance
with the bid document and was selected as 'successful bidder' pursuant to the bidding process
and negotiation on contract prices, awarded the 'Letter of Acceptance' (LoA) No. _____ to the
Contractor on _____.

BOTH THE PARTIES HERETO agree to abide the terms and conditions as mentioned in
"Schedule-2 (Conditions of Contract) of Tender Document". (To be inserted)

(Signature of Contractor/

(Signature of Authorized Officer of the BIS)
Authorized Representative)

Name _____	Name _____
Designation _____	Designation _____
Address _____	Address _____

Seal of the Firm/Company Seal of the BIS

Witness: Witness:

_____ (Signature)	_____ (Signature)
Name of Witness _____	Name of Witness _____
Address _____	Address _____

Annexure 4

DETAILS TO BE FURNISHED BY THE BIDDERS

- 1) Name of the Firm/Company:
- 2) Class of Registration with validity date:
- 3) Value of Registration:
- 4) Address for Communication:
- 5) Telephone No.:
- 6) E-mail:
- 7) Details of Proprietor/Partner/Director

Name	Address	Qualification and Experience

- 8) Annual Turnover of the Firm/Company during previous three Price Years
(Certified copies of audited Balance Sheet to be submitted):

Price Year	Annual Turnover (Rs)	Copies of audited Balance Sheet enclosed (Yes/No)
Previous Price Year (Y-1) 2018-2019		
2nd Previous Price Year (Y-2) 2017-2018		
3rd Previous Price Year (Y-3) 2016-2017		

- 9) PAN, TIN Number of the Firm/Company :

- 10) GST Registration No.:

Note: - The turnover amount should be certified and audited by CA of firm and separate sheet should be enclosed

11) EMD Draft Number/Date & Name of the Bank:

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

I/We give an undertaking and give our unconditional and unequivocal acceptance of all terms and conditions of the Tender and agree to abide by these terms and conditions.

Name and Signature of the Authorized Signatory

Seal of the Firm/Company

Dated:

Place:

Annexure 5

Details of other organizations where contracts undertaken during last three years (enclose supporting documents).

Sl. No	Name & Address of The organization, contact no	No. of Security and house-keeping personnel supplied	Period of contract	Whether Govt/Autonomous bodies/PSUs/Industries/NGOs etc.	Amount of contract	Reason for termination (if currently not valid)
1						
2						
3						

This is to certify that the above facts are true complete and correct to the best of my knowledge and belief. Further, it is certified that I/We have read and understood the terms and conditions of the Tender Notice.

Name and Signature of the Authorized Signatory

Seal of the Firm/Company

Dated:

Note: - The award of contract letters to be enclosed for above

Annexure 6
SCHEDULE OF RATES (PRICE BID)

(To be enclosed with price bid in a separate cover marked "Envelope 2")

Name of the work: Contract for providing of **security guards(semi skilled), Housekeeping (unskilled), Stenographer (skilled) and Data Entry Operator (High Skilled)** in BIS Nagpur.

Sl. No.	Particulars	Security Guard (SG) Semi-Skilled	Housekeeping (HK) Unskilled	Stenographer (skilled)	Data Entry Operator (High Skilled)
1	Basic Minimum Wages including VDA per person per day (as per Central Govt)				
2	HRA (as applicable)				
3	ESI (as applicable)				
4	EPF (as applicable)				
5	EDLI (as applicable)				
6	Bonus (as applicable)				
7	Uniform Washing allowance (If applicable as per Govt Rules)				
8	Gratuity/Terminal Benefits (If applicable as per Govt Rules)				
9	(A) Cost per Head per Day (Total 1 to 7)				
10	(B) Profit/Service Charges per head per day (in terms of fixed amount and not in terms of %)				
11	Total Cost per Head per day (A) + (B)				
12	GRAND TOTAL (SG+HK+ Steno +				

	DET)				

- * **Quoted rates should not be less than the latest rates of minimum wages as prescribed by Minimum wages Act of central government as on date.**
- * The rates shall be quoted in Indian Rupees only.
- * The Price Bid shall be quoted **excluding of taxes**. BIS shall pay the applicable taxes.
- * In case of any discrepancy/differences in the amounts indicated in figures and words, the amount in words will prevail and will be considered.
- * The quoted rates shall remain firm throughout the tenure of the contract and no revision is permissible for any reason.
- * No other charges would be payable by BIS, Nagpur.

Declaration by the Tenderer:

This is to certify that I/We before signing this tender have read and fully understood all the terms and conditions contained herein and undertake myself/ourselves to abide by them.

Name and Signature of the Authorized Signatory

Seal of the Firm/Company

Dated:

Annexure 7

(to be given on company letter head)

Declaration regarding black-listing and/ or litigations

I/we hereby declare that our firm/agency is not black-listed by any Ministry or Department of Central Government/State Government or PSU or other bodies under the Central Government/State Government. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the firm/company or its owner/partners/directors anywhere in India.

Date the day of 201

Signature of Bidder_____

Name & Address of Bidder_____

Seal of the Firm/Company

Annexure 8

(to be given on company letter head)

Declaration regarding police verification

I/we hereby declare that our firm/agency provides security and housekeeping personnel whose police verification has been carried out. I/we further declare that no criminal case is registered or pending against the personnel supplied by our firm/company to BIS Nagpur

Date the day of 201

Signature of Bidder_____

Name & Address of Bidder_____

Seal of the Firm/Company